

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की
धारा-4

17 मैनुअलों का संग्रह

2016-17

भाग-1

मैनुअल संख्या 1, 2, 3 एवं 4

उत्तराखण्ड शासन

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
(उत्तराखण्ड)

मैनुअल-1

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

**The Particulars Of its
Organization, Function and
Duties**

मैनुअल-1
विषय सूची

The Particulars Of its Organization, Function and
Duties

क्र.सं.	विवरण
1.1	पशुपालन विभाग का इतिहास
1.2	कृत्य एवं कर्तव्य
1.3	विभाग के कार्यकलाप
1.4	ऊन बोर्ड-संगठन के उद्देश्य
1.5	संगठन का मिशन
1.6	संगठन के कर्तव्य
1.7	संगठन के मुख्य कृत्य
1.8	त्रिस्तरीय पंचायतो के कृत्य, दायित्व एवं भूमिका
1.9	लोक प्राधिकरण के कर्तव्य
1.10	बोर्ड का संगठनात्मक ढाँचा

1.1 पशुपालन विभाग का इतिहास

ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा वर्ष 1892 में सिविल वैटनरी विभाग की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रदेश में अश्व उत्पादन को प्राथमिकता देना था । इसके अन्तर्गत बाबूगढ़ (मेरठ) में एक डिपो खोला गया, जहां सामान्य प्रबन्धक के साथ-साथ प्राथमिक चिकित्सा तथा अश्व प्रदर्शनी मेलों का आयोजन कराया जाता था । इसको प्रभावी बनाने हेतु वर्ष 1901 में सात पशु चिकित्सालयों की स्थापना की गई ।

वर्ष 1899 में ग्लाइन्ड एण्ड फारसी तथा 1910 में पशुफार्म मझरा (लखीमपुर) एवं वर्ष 1913 में माधुरीकुण्ड (मथुरा) में स्थापित किये गये पंजाब पशु चिकित्सालय महाविद्यालय, लाहौर में पशु सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई ।

वर्ष 1916 में पशुपालन कार्य को गति देने के लिए डिप्टी सुपरटेन्डेन्टो के अधीन रखकर तीन सर्किलो को बाटा गया तथा अधीनस्थ कर्मचारियों जिला परिषदों द्वारा उपलब्ध कराये गये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट 1922 के लागू होने पर कार्यों में आई समस्याओं के फलस्वरूप इसी वर्ष कैटिल ब्रीडिंग कार्य हेतु मझरा फार्म (खीरी) माधुरीकुण्ड फार्म(मथुरा)कृषि विभाग को सौंप दिये गये तांकि बैनीपुर (आगरा) व आटा (जालौन)क्वाराईन स्टेशन खोले गये । वर्ष 1933 में सब-सर्किलो को समाप्त करते हुए वर्ष 1935 में वैटनरी इनवेस्टीगेशन आफिसर नियुक्ति किये गये ,पशुप्रजनन का कार्य कृषि विभाग द्वारा संतोषजनक न होने के कारण वर्ष 1939 में यह कार्य सिविल वैटनरी डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया इस प्रकार वर्ष 1944तक धीरे-धीरे पशु सम्बन्धी कार्य सिविल वैटनरी डिपार्टमेंट को स्थानान्तरित कर दिये गये ।

अविभाजित उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना वर्ष 1944 में की गई थी । इससे पूर्व सिविल वैटनरी डिपार्टमेंट कृषि विभाग द्वारा पशुपालन सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जाते थे। उस समय सिविल डिपार्टमेंट मुख्यतः अश्व प्रजनन एवं पशुरोग नियंत्रण कार्य से सम्बन्धित था। कृषि विभाग द्वारा गोवंशीय सांडों की पूर्ति पशुप्रजनन हेतु की जाती थी । बाद में पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना होने पर पशु चिकित्सा, रोग नियंत्रण,पशु प्रजनन एवं चारा विकास आदि कार्यक्रम भी पशुपालन विभाग द्वारा प्रारम्भ किये गये ।

वर्ष 1970 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में त्वरित विकास हेतु उप निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमायूं मण्डल के पद का सृजन कर पर्वतीय क्षेत्र के सभी योजनाओं / कार्यक्रमों का नियंत्रण एवं संचालन का उत्तरदायित्व सौंपा। विभिन्न योजनाओं में समन्वय एवं संचालन हेतु निम्नानुसार प्रशासनिक व्यवस्था की गई ।

1- अपर निदेशक	—	1 पद
2- संयुक्त निदेशक	—	1 पद
3- मण्डलीय चारा विकास अधिकारी—		1 पद
4- सहायक लेखाधिकारी	—	1 पद
5- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	—	1 पद
6- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	—	1 पद

1.2 कृत्य एवं कर्तव्य

कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर—

पशुपालन विभाग की स्थापना जनपदों में श्वेत क्रान्ति एवं पालतू पशुओं के विकास की दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए की गई है। पूर्व में उत्तर प्रदेश शासन के अधीन विभाग कार्यरत था। वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना हो जाने के फलस्वरूप पशुपालन विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। वर्तमान में विभाग में राज्य स्तर पर निदेशक, मण्डल स्तर पर अपर निदेशक एवं जनपद स्तर पर मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी तथा विकास खण्ड स्तर पर पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1 एवं अन्य पशुचिकित्सालयों में पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड-2 एवं अधिक पशुधन वाले क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर पशुधन प्रसार अधिकारी कार्यरत है।

क.सं0	संस्था का नाम	नैनीताल	उ0सि0नगर	अल्मोड़ा	बागेश्वर	पिथौरागढ़	चम्पावत	मण्डल का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पशु चिकित्सालय	28	22	37	10	31	13	141
2	सचल पशु चिकित्सालय	1	1	1	1	1	1	6
3	पशु सेवा केन्द्र	94	71	98	33	61	23	380
4	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	100	97	83	21	44	28	373
5	'द' श्रेणी औषधालय	2	2	1	1	—	—	6
6	भेड़ प्रक्षेत्र	—	—	—	2	2	—	4
7	कुक्कुट प्रक्षेत्र	—	1	1	—	1	—	3
8	सूकर प्रक्षेत्र	—	1	—	—	—	—	1
9	अंगोरा शशक प्रक्षेत्र	—	—	—	—	—	1	1
10	भेड़ एवं ऊन प्रसार /मेढा केंद्र	—	—	3	9	18	—	30
11	अश्व सांड केन्द्र	1	—	—	—	—	—	1
12	पशुप्रजनन प्रक्षेत्र	—	—	—	—	—	1	1
13	चारा अनुसंधान प्रक्षेत्र	—	—	1	—	—	—	1
14	बहुवैशेषीय सेवा केन्द्र	—	—	—	—	1	—	1
15	क्वारन टाईन केन्द्र	—	—	—	—	—	1	1
16	सघन कुक्कुट विकास प्रायोजना	1	—	1	—	1	—	3
17	कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला	—	1	—	—	—	—	1
18	मण्डलीय प्रयोगशाला	—	—	1	—	—	—	1
19	पशु शल्य चिकित्सा केन्द्र	—	1	—	—	1	1	3
20	ऊन शियरिंग एण्ड ग्रेडिंग सेन्टर	1	—	—	2	4	1	8

1.3 विभाग के कार्यकलाप-

1-पशु चिकित्सा एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम -

पशुओं की उत्पादन क्षमता का समुचित लाभ प्राप्त करने के लिए उनको स्वस्थ रखना परम आवश्यक है । पशुओं के स्वास्थ्य सुरक्षा एवं रोग नियंत्रण हेतु विभिन्न सुविधायें उपलब्ध हैं । मण्डल के अन्तर्गत जनपद नैनीताल/उधमसिंहनगर/अल्मोड़ा/बागेश्वर/पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में वर्तमान में 141 पशु चिकित्सालय तथा 6 सचल पशुचिकित्सालय कार्यरत हैं । मण्डल स्तर पर विभिन्न रोगों की जांच एवं उसके तत्काल निदान हेतु एक रोग निदान प्रयोगशाला रूद्रपुर जनपद उधमसिंहनगर तथा एक मण्डलीय प्रयोगशाला, हवालबाग जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत है। पशुओं में महामारी की रोगथाम तथा उनकी सुरक्षा के लिए समय-समय पर गलाघोटू,लंगडिया,पी.पी.आर.,एफ.एम.डी.,बी.क्यू, आर.डी.,एफ.पी.,एन्थैक्स आदि रोगों के निवारण हेतु टीके लगाये जाते हैं ।

2-पशु विकास कार्यक्रम-

पशुविकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य मण्डल में उपलब्ध गाय एवं भैंसों की नस्ल सुधार कर उनकी उत्पादकता एवं उत्पादन क्षमता में तीव्रगति से वृद्धि करना है । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड लाइव स्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड की स्थापना केन्द्र सरकार की शतप्रतिशत सहायता से की जा चुकी है । जुलाई, 2002 में बोर्ड द्वारा अपना कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ।

3-कुक्कुट विकास-

अण्डा एवं कुक्कुट मांस की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु वृहद प्रयास किये जा रहें हैं । वर्तमान में मण्डल में 3 कुक्कुट प्रक्षेत्र क्रमशः हवालबाग (अल्मोड़ा), विण (पिथौरागढ़) एवं रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) में कार्यरत हैं। विण, पिथौरागढ़ का सुदृढीकरण (भारत सरकार की 80 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत)कर कायलर प्रजाति के 1500 कुक्कुट पक्षियों का पैरेन्ट स्टॉक व्यवस्थित करने के उपरान्त उनकी एक दिवसीय कुक्कुट पक्षियों का उत्पादन कर, ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवारों की आर्थिक दशा में सुधार लाने हेतु वितरित कर बैकयार्ड कुक्कुट इकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

4-भेड़ एवं ऊन विकास कार्यक्रम-

मण्डल में भेड़ पालन का स्थान भौगोलिक एवं व्यवसायिक दृष्टि परख है । जनपद बागेश्वर में 2 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र एवं जनपद पिथौरागढ़ में 2 भेड़ प्रक्षेत्र कार्यरत हैं । इसके अतिरिक्त जनपद अल्मोड़ा में 3, बागेश्वर में 9, जनपद पिथौरागढ़ में 18 भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र कार्यरत हैं । जहां पर शुद्ध एवं कास ब्रीड मेढा एवं भेड़े व्यवस्थित की गई हैं तथा ऋतुकाल में मेढों के माध्यम से भेड़ पालकों के भेड़ों को प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ।

इनब्रीडिंग को रोकने हेतु विभिन्न जनपदों को प्रजनन योग्य मेढे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लीती (बागेश्वर) एवं पांगू (पिथौरागढ़) में मेढा पालन इकाई स्थापित किया गया है ।

5-अंगोरा शशक पालन-

अंगोरा शशक पालन हेतु पर्वतीय क्षेत्र के 4500 से 5000 फीट ऊंचाई बहुत अनुकूल है। वर्तमान में इस कार्य को बढ़ावा देने के लिए जनपद चम्पावत में 1 अंगोरा प्रक्षेत्र कार्यरत है । जहां पर इच्छुक उद्यमियों को शशक पालन प्रशिक्षण एवं शशक शावक उपलब्ध कराई जाती है ।

6- बकरी पालन/भेड़ पालन/गौ पालन योजना-

राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु क्रमशः बकरी पालन इकाई हेतु ₹44.06 लाख की धनराशि प्राप्त हुई, जिसके अन्तर्गत 70 बकरी पालन युनिटों , भेड़पालन इकाईयों हेतु ₹8.82 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। जिसके सापेक्ष 14 यूनिटें एवं गौपालन हेतु ₹141.48 लाख की धनराशि प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष 393 यूनिटें स्थापित कर कुल 477 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों को लाभान्वित किया गया।

7- अहिल्याबाई होल्कर योजना-

राज्य सेक्टर योजना वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अहिल्याबाई होल्कर भेड़/बकरी पालन इकाईयों की स्थापना हेतु ₹ लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 76 बकरी/भेड़ पालन यूनिट स्थापित 76 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

1.4 ऊन बोर्ड संगठन के उद्देश्य –

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के उद्देश्य निम्नवत हैं—

- 0 उत्तराखण्ड में भेड़ों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के माध्यम से सहयोग देना ।
- 0 उत्तराखण्ड में भेड़ों की बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्यक्रम ।
- 0 उत्तराखण्ड के भेड़ पालकों की भेड़ों में नस्ल सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा देना ।
- 0 उत्तराखण्ड के भेड़ पालकों के जीवन स्तर को सुधारने में सहयोग देना ।
- 0 उत्तराखण्ड के भेड़ पालकों द्वारा उत्पादित उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने में सहयोग करना ।
- 0 उत्तराखण्ड के भेड़ पालकों को भेड़ पालन कार्यक्रम में नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करना ।
- 0 उत्तराखण्ड के भेड़ पालकों को भेड़ पालन व्यवसाय के प्रति जागरूक करना है ।
- 0 उत्तराखण्ड के भेड़ पालकों के स्वयं सहायता समूह/संगठन/समितियां बनाने में सहयोग देना ।
- 0 उत्तराखण्ड में भेड़ों की संख्या में आ रही कमी को रोकने हेतु विभिन्न विभागों के माध्यम से लाभकारी योजनायें तैयार करना ।
- 0 उत्तराखण्ड में हथकरघा तथा विभिन्न प्रकार के उद्योगों को तलासने /स्थापना के प्रति तकनीकी सहायता प्रदान करने में सहयोग करना ।

1.5 संगठन का मिशन—

उत्तराखण्ड राज्य में भेड़ बकरी एवं शशक पालन को सघन रूप से विकसित करने राज्य के ग्रामवासियों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु अवसर प्रदान करना है ।

1.6 संगठन के कर्तव्य—

उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डैवलेपमेन्ट बोर्ड का मिशन निम्नवत है—

- 0 भेड़ों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम ।
- 0 भेड़ों की बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्यक्रम ।
- 0 भेड़ पालकों की भेड़ों में नस्ल सुधार कार्यक्रम ।
- 0 भेड़ पालकों के जीवन स्तर को सुधारने में सहयोग देना ।
- 0 भेड़ पालकों द्वारा उत्पादित उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने में सहयोग करना ।
- 0 भेड़ पालकों को भेड़ पालन कार्यक्रम में नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करना ।
- 0 भेड़ पालकों को भेड़ पालन व्यवसाय के प्रति जागरूक करना है ।
- 0 भेड़ पालकों के स्वयं सहायता समूह/संगठन/समितियां बनाने में सहयोग देना ।
- 0 भेड़ों की संख्या में आ रही कमी को रोकने हेतु विभिन्न विभागों के माध्यम से लाभकारी योजनायें तैयार करना ।
- 0 हथकरघा तथा विभिन्न प्रकार के उद्योगों को तलाशने/स्थापना के प्रति तकनीकी सहायता प्रदान करने में सहयोग करना ।

1.7 संगठन के मुख्य कृत्य—

- 1— चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम
- 2— नस्ल सुधार कार्यक्रम
- 3— उत्पादकता विकास कार्यक्रम
- 3.1 भेड़ों को ऊन करतन से पूर्व नहलाया जाना
- 3.2 ऊन की ग्रेडिंग
- 3.3 मशीन द्वारा ऊन करतन
- 4 उत्पादित होने वाली ऊन के विपणन में सहायता
- 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 6 बहुदेशीय सेवा केन्द्रों की स्थापना
- 7 संगठन द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण—
उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा वर्ष 2004-05 में निम्नलिखित कार्यक्रम सम्पादित किये गये —
- 1— चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम—
भेड़ों में दवापान, दवास्नान, चिकित्सा, बधियाकरण, टीकाकरण आदि की सुविधायें प्रदान की गई हैं ।
- 2— नस्ल सुधार कार्यक्रम —
प्रगतिशील भेड़ पालकों को उनकी भेड़ों में प्रजनन हेतु निःशुल्क मेढ़ों का वितरण मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों के माध्यम से किया जाता है ।
- 3— उत्पादकता विकास कार्यक्रम—
निम्नलिखित कार्यक्रमों को विभाग द्वारा सम्पादित कराया जाता है
- 3.1 भेड़ों को ऊन करतन से पूर्व नहलाया जाना ।
- 3.2 ऊन की ग्रेडिंग
- 3.3 मशीन द्वारा ऊन कतरन
- 4 उत्पादित होने वाले ऊन के विपणन में सहायता
- 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 6 बहुदेशीय सेवा केन्द्रों की स्थापना
- 7 संगठन का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग—
उत्तराखण्ड एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसका उदय देश के 27वें राज्य के रूप में 9 नवम्बर, 2000 को हुआ। उत्तराखण्ड राज्य का कुल क्षेत्रफल 53483 वर्ग किमी. है। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य की जनसंख्या 8479562 है। जिसमें से 13971 भेड़ पालक हैं। वर्ष 2003 की 17वीं पशुगणना के आधार पर इन भेड़ पालकों के पास मेढ़ों की संख्या 2.95 लाख है ।
- 0 भेड़ों की संख्या में विगत वर्षों से निरन्तर कमी आ रही है , जिसके प्रमुख कारण निम्नवत है —
- 0 भेड़ पालकों का आधुनिक सुख सुविधाओं के कारण व्यवसाय से पलायन
- 0 रोजगार साधनों का विविधीकरण
- 0 भेड़ पालकों के उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त न होना
- 0 भेड़ पालन कार्य कठिन श्रम का होना
- 0 पारम्परिक भेड़ पालकों में शिक्षा का व्यापक प्रसार होने के कारण इस कार्य में कम योगदान देना ।
- 0 बुग्यालों की स्थिति में उत्तरोत्तर गिरावट आना ।
- 0 वन अधिनियम के लागू होने से चरान-चुगान क्षेत्रों को प्रतिबंधित करना

- 0 भेड़ पालन कार्यक्रम को एकीकृत रूप से विकसित करने तथा भेड़ पालकों को भेड़ पालन कार्यक्रम में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए । यू0एस.डब्ल्यू.डी0बी0 की स्थापना की गई ।
- 0 यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 की स्थापना –भेड़ पालकों की विभिन्न प्रकार की समस्यायें तथा उनकी मांग को दृष्टिगत रखते हुए यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 का गठन शासनादेश संख्या 568/प0म0दु0उ0वि0बो0/2003 दिनांक 29.10.2003 के माध्यम से करते हुए इसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन संख्या 1988 दिनांक 31.10.2003 के द्वारा किया गया ।
- 0 संगठन के विभिन्न स्तर पर संगठनात्मक ढांचा–
 बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा– उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की गवर्निंग बॉडी
- | | | |
|---|---|------------|
| 1. मा0पशुपालन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन (पदेन) | – | अध्यक्ष |
| 2. प्रमुख सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन (पदेन) | – | उपाध्यक्ष |
| 3. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन | – | सदस्य |
| 4. सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन (पदेन) | – | सदस्य |
| 5. सचिव, वन पर्यावरण एवं जलागम, उत्तराखण्ड शासन (पदेन) | – | सदस्य |
| 6. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार (पदेन)– | – | सदस्य |
| 7. अपर सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन (पदेन) | – | सदस्य |
| 8. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तराखण्ड (पदेन) | – | सदस्य |
| 9. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून (पदेन) | – | सदस्य |
| 10. अधिष्ठाता, गोविन्द बल्लभ पन्त, कृषि विश्व विद्यालय, रानीचौरी, टिहरी (पदेन) | – | सदस्य |
| 11. मुख्य अधिशासी अधिकारी, हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, देहरादून (पदेन)– | – | सदस्य |
| 12. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड (पदेन) | – | सदस्य |
| 13. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड (पदेन) | – | सदस्य |
| 14. मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एल0डी0बी0, देहरादून (पदेन) | – | सदस्य |
| 15. निदेशक, हाईफीड, रानीचौरा टिहरी गढ़वाल (पदेन) | – | सदस्य |
| 16. वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद, देहरादून (पदेन)– | – | सदस्य |
| 17. भेड़–बकरी पालन कार्यक्रम के विशेषज्ञ सेवानिवृत्त अधिकारी/वैज्ञानिक | – | सदस्य |
| 18. जनपद उत्तकाशी/चमोली/पिथौरागढ़/बागेश्वर/टिहरी गढ़वाल/पौड़ी/अल्मोड़ा रुद्रप्रयाग/देहरादून से एक–एक प्रगतिशील भेड़पालक राज्य सरकार द्वारा नामित– | | 09 सदस्य |
| 19. मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0, देहरादून (पदेन) | – | सदस्य/सचिव |
- 0 उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की अधिशासी कमेटी–
- | | | |
|---|---|------------|
| 1. प्रमुख सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन (पदेन) | – | अध्यक्ष |
| 2. अपर सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन (पदेन) | – | उपाध्यक्ष |
| 3. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड (पदेन) | – | सदस्य |
| 4. मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एल0डी0बी0, देहरादून (पदेन) | – | सदस्य |
| 5. निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड | – | सदस्य |
| 6. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून (पदेन) | – | सदस्य |
| 7. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड | – | सदस्य |
| 8. महाप्रबन्धक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून– | – | सदस्य |
| 9. वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद, उत्तराखण्ड | – | सदस्य |
| 10. मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0, देहरादून (पदेन) | – | सदस्य/सचिव |

परिशिष्ट-1

1.8 त्रिस्तरीय पंचायतों के कृत्य,दायित्व एवं भूमिका

1-राज्य स्तर-

- 1-पशु चिकित्सा सम्बन्धी नीति का निर्धारण
- 2-पशु सम्पदा जिसमें कुक्कुट, डेयरी भी शामिल है के , विकास के सम्बन्ध में भावी योजना तैयार करना ।
- 3-नस्ल सुधार के सन्दर्भ में अनुसंधान कराना व उसे प्रोन्नति करना ।
- 4-विस्तार कार्यक्रमों की प्रोन्नति, ऋण वितरण व अनुसंधान हेतु निजी क्षेत्र, गैर सरकारी एजेन्सी व अनुसंधान की भागीदारी का प्रयास करना ।
- 5-पशुधन विकास के माध्यम से रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन गतिविधियों को बढ़ावा व प्रोन्नत करना ।
- 6-पशुधन उत्पादन, प्रसंस्करण व विपणन की स्थापना व विस्तार हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना ।
- 7-पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं प्रोन्नति करना ।
- 8-हड्डी, चर्म तथा अन्य पशु उत्पादों के उत्पादन व प्रसंस्करण की प्रोन्नति करना ।
- 9-मांस कुक्कुट, अण्डा, हड्डी तथा अन्य पशु उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना ।
- 10-घास क्षेत्रों के विकास व पशु चारा एवं संतुलित पशु आहार के उत्पादन के कार्यक्रमों की प्रोन्नति हेतु नीति निर्धारण करना ।

2-जिला पंचायत स्तर -

- 1-जनपद हेतु पशुपालन हेतु योजनायें तैयार करना
- 2-पशु चिकित्सालयों की स्थापना, रखरखाव एवं प्रबन्धन
- 3-मध्यश्रेणी के पशु चिकित्सालयों व डिस्पेन्सरी की स्थापना, रखरखाव व प्रबन्धन
- 4-कृत्रिम गर्भाधान व अन्य साधनों से गोधन, कुक्कुट एवं अन्य पशुओं की नस्ल सुधार करना
- 5-डेयरी, कुक्कुट एवं सुकर पालन के विकास को प्रोत्साहित करना
- 6-पशुओं में खुरपका-मुहपका रोगों सहित संक्रामक रोगों, महामारी का निवारण तथा नियंत्रण
- 7-संतुलित आहार चारा व घास क्षेत्रों का विकास
- 8-कृषकों, पशुपालकों एवं अन्य उपभोगता समुदाय का प्रशिक्षण ।
- 9-हड्डी, चर्म व पशु उत्पादों को प्रसंस्करण हेतु केन्द्र की स्थापना व उन्हें प्रोन्नति करना
- 10-नस्ल सुधार, चारा व पशु आहार के कार्यक्रम के नियोजन अनुसंधान एवं विपणन हेतु निजी क्षेत्र की संस्थाओं व गैर-सरकारी एजेन्सियों को सम्बन्ध करना ।
- 11-पशुनस्ल सुधार प्रक्षेत्रों के कार्यकलापों का परिवेक्षण तथा सांड एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराना
- 12-बकरी, भेड़ एवं सुकर पालन प्रक्षेत्रों का विकास एवं प्रोन्नति ।
- 13-पशुपालन से सम्बन्धित योजनाओं का प्रचार प्रसार ।
- 14-जिला परिषद में निहित सम्पत्तियों एवं भवनों का अनुरक्षण ।

3-क्षेत्रीय पंचायत स्तर

- 1-क्षेत्र पंचायतों को अभ्यर्पित समस्त कार्यक्रम का कार्यान्वयन
- 2- ग्राम पंचायतों का पर्यवेक्षण व जिला पंचायतों की आख्या
- 3- ग्राम पंचायत द्वारा संस्तुति स्थल व लाभार्थियों को सामग्री वितरण हेतु चयन
- 4- प्राकृतिक पशु पालन केन्द्रों का नियोजन तथा अनुश्रवण
- 5- कार्यक्रमों का कार्यान्वयन यथा:
 - 1-पशु चिकित्सा एवं पशु संपदा के विकास, सेवाओं व पशुसेवा केन्द्रों का रख रखाव एवं प्रबन्धन
 - 2-पशुओं एवं कुक्कुटों में महामारी व छूत के रोगों का निवारण एवं नियंत्रण
 - 3-सघन पशु विकास कार्यक्रम
 - 4-विकसित चारा एवं घास के उत्पादन की प्रोन्नति
 - 5- क्षेत्रीय पंचायतों में निहित परिसम्पत्तियों एवं भवनों का रख रखाव

4- ग्राम पंचायत स्तर

- 1- डेयरी, कुक्कुट व सूकर से सम्बन्धित पशु पालन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ।
- 2- पशु, कुक्कुट तथा अन्य पशु सम्पदा के नस्ल सुधार कार्यक्रम ।
- 3- जनता के सहयोग से सार्वजनिक तराई क्षेत्र का विकास एवं रख रखाव ।
- 4- पशुओं में महामारी व छूत रोगों के निवारण व नियंत्रण में सहायता करना ।
- 5- पशु गृहों, सदनो की स्थापना तथा छुट्टा पशु के नियंत्रण हेतु प्रयास करना ।
- 6- पशु कंकालों के एकत्रीकरण व उपयोग हेतु केन्द्रों की स्थापना ।
- 7- ग्राम पंचायत में निहित सम्पत्तियों एवं भवनों का रख रखाव ।
- 8- चारा विकास सार्वजनिक चारागाहों का रख रखाव तथा उसके दुरुपयोग का नियंत्रण व वाधाओं का निवारण ।

1.9 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य-

उत्तराखण्ड राज्य के पशुओं के कल्याण एवं उन पर हो रहे अत्याचार/कूरता को रोकने, पालतू पशुओं को अनुत्पादक होने पर लावारिस हालत में छोड़े जाने पर संरक्षण दिलाने एवं वन्य जीवों पर होने वाले अत्याचारों/अनावश्यक पीड़ा यातना से रोकने तथा पशुओं की दशा सुधारने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशन एवं भारत सरकार के संसद द्वारा पारित, पशुओं के प्रति कूरता निवारण अधिनियम 1960 (संशोधित 1982) के अधीन उत्तराखण्ड राज्य पशु कल्याण बोर्ड का गठन 23-11-2004 को किया गया ।

2-अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किया जाना प्रस्तावित है ।

3-शासन द्वारा समय समय पर शासनादेश/उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार कार्यवाही अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के माध्यम से पशु पालन विभाग के कार्मिकों द्वारा कार्यवाही सम्पन्न की जा रही है । वर्तमान में अभिलेख के रूप में स्टाक बुक, पत्र प्रेषण, प्राप्ति पंजिका, उपस्थिति, परिषदीय कार्यक्रम, मांग व आपूर्ति, सुझाव, शिकायत आगन्तुक, बजट, योजना, दैनिक आदेश पंजिकाएं तथा सम्बन्धित पत्रावलियां कार्यालय उपयोग संधारित की जा रही है ।

4-राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन नियम/नीति बनाने/क्रियान्वयन करवाने का अधिकार बोर्ड को नियत है ।

5-वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सचिव पशु पालन विभाग/पदेन सचिव राज्य पशु कल्याण बोर्ड उत्तराखण्ड सरकार तथा पशुपालन विभाग के कार्मिक ।

6-वर्तमान राज्य स्तर पर पशु कल्याण बोर्ड उत्तराखण्ड, जनपद स्तर पर पशु कूरता निवारण समितियां गठित है उनकी बैठकों का कार्यवृत्त जनता में पहुंचाने के उद्देश्य से बैठकों का कार्यवृत्त समाचर पत्रों में प्रकाशित किया जाता है ।

7-वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा सचिव पशुपालन विभाग/पदेन सचिव पशुकल्याण बोर्ड उत्तराखण्ड सरकार या सरकार/बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अन्य कार्यवाही प्रस्तावित है ।

8-वर्तमान में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड व सरकार को है ।

9-वर्तमान में पशुपालन विभाग के अनुसार कार्यवाही ।

10-वर्तमान में पशुपालन विभाग के विभागीय नियमों के तहत कार्मिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है । भविष्य में बोर्ड द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तावित है ।

11-वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की मांग/आपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2004-05 में ₹2.80 तथा 2005-06 में ₹3.55 लाख बजट प्राप्त हुआ ।

12-शून्य- प्रकरण पर प्रस्ताव प्रस्तावित ।

13-संबंधित प्रकरणों पर प्रस्ताव प्रस्तावित ।

14-प्रस्ताव प्रस्तावित ।

15-वर्तमान में व्यवस्था नहीं है, भविष्य हेतु प्रस्ताव प्रस्तावित ।

16-सूचना कार्यकारी अध्यक्ष /उपाध्यक्ष तथा सचिव पशु पालन विभाग ।

17-बोर्ड का गठन कुछ समय पहले ही किया गया गया है, इसके वायंलाज/कार्मिकों की आचार संहिता/वित्तीय व्यवस्था आदि ।

लोक प्राधिकरण के मुख्य कर्तव्य-

क-जीव-जन्तुओं के प्रति कूरता निवारण हेतु भारत में प्रवृत्त विधि का अध्ययन करता रहे और ऐसी किसी विधि में समय-समय पर किये जाने वाले संशोधनों की बावत राज्य सरकार को सलाह दे ।

ख-जीव जन्तुओं को सामान्यतया या विशिष्टतया जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए परिवहन किये जा रहें हों या जब से अभिनयकर्ता जीव-जन्तु के रूप में प्रयुक्त किये जा रहें हों या जब से वे बन्धन या प्रतिरोध में रखे गये हों तब अनावश्यक पीड़ा या यातना से बचाने की दृष्टि से इस नियम के अधीन नियम बनाने बावत राज्य सरकार को सहाय दे ।

ग—भारवाही जीव—जन्तुओं पर भार कम करने के लिए यानों के डिजायनों में सुधार हेतु सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति को सलाह दें ।

घ—शेडों, जलनादों और तदूप चीजों का सन्निर्माण प्रोत्साहित या उपबन्धित करने, जीव—जन्तुओं के लिए पशु चिकित्सा सहायता उपबन्धित करने, पशुओं की बेहतरी के लिए उपाय करने हेतु जैसा बोर्ड ठीक समझे वैसा उपाय करे ।

ङ—बधालयों के डिजायन या बधालयों को चलाने या जीव जन्तुओं के बध के सम्बन्ध में सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को सलाह दें ताकि जहां तक सम्भव हो पशुओं को बध से पहले के कार्यक्रम में अनावश्यक शारीरिक या मानसिक पीड़ा न हो जहां कहीं जीव—जन्तुओं को मार देना आवश्यक हो वहां यथासम्भव मानवोचित रीति से किया जाय ।

च—जब कभी अवांछनीय जीव—जन्तु को नष्ट किया जाना आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा या तो तुरन्त किया जाय या जीव—जन्तु को अचेत करके किया जाय । या बोर्ड जैसा उचित समझे वैसा उपाय करें ।

2.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण ।

2.7—लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा(जहां लागू हो) ।

बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा—यू.एस.पी.बी.का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है—

1— माननीय मंत्री महोदय पशुधन एवं मत्स्य, उत्तराखण्ड	प्रदेश अध्यक्ष
2— राज्य सरकार द्वारा नामित(पशुकल्याण के आधार पर)	उपाध्यक्ष
3— सचिव/अपर सचिव पशुधन एवं मत्स्य, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सचिव
4— निदेशक पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य
5— मुख्य वन जीव संरक्षक, उत्तराखण्ड	सदस्य
6— गौ—शाला के दस चयनित प्रतिनिधि(राज्य सरकार द्वारा)	सदस्य
7— पांच पशु प्रेमी(राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
8— समाज सेवा संस्थाओं के "दो" सदस्य जो पशुकल्या का कार्य कर रहें हैं (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
9— प्रमुख सचिव, गृह उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
10— निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तराखण्ड राज्य	सदस्य
11— जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तराखण्ड का एक प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
12— विधान सभा के दो माननीय विधायक(राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
13— सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायिक सेवा/प्रशासनिक सेवा से जुड़े दो प्रतिनिधि(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नामित सदस्य)	सदस्य
14—लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जनसहयोग की अपेक्षायें	
15—जनसहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था	
16—जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था	
17—मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते (कृपया पतों का जनपदवार वर्गीकरण करें)	

मण्डल स्तर
अपर निदेशक

जिला स्तर पर
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी

18—कार्यालय खुलने का समय— प्रातः 10 बजे
कार्यालय बन्द होने का समय—अपराह्न— 5 बजे

मैनुअल-2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां
और कर्तव्य

**The Power of its officers and
employees**

मैनुअल-2

क्र०सं०	विवरण
2.1	अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशासनिक शक्तियों का विवरण
2.2	वित्तीय शक्तियां
2.3	अपर निदेशक कार्यालय के कर्तव्य का विवरण

2.1 अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशासनिक शक्तियों का विवरण

क्र.सं.	मद	अधिकार	वर्तमान अधिकारी जो आदेश का प्रयोग कर रहे हैं	अधिकारी पदनाम जिसे अधिकार प्रतिनिधित्व किये जाने का प्रस्ताव है
1	नियुक्ति	वेतनमान 5200-20200+ ग्रेड पे - 1800, 1900, 2000 के समस्त समूह घ एवं ग के वेतनमानों में नियुक्ति अधिकार सातवें वेतन आयोग के अनुसार उपरोक्त ग्रेडवेतन में अनुमन्य वेतन मैट्रिक्स के अनुसार वेतनमान क्रमशः रु0 18000-56900, 19900-63200, 21700-69100	मण्डलीय अपर निदेशक	-
2	अवकाश(भैषजिक अवकाश)/उपार्जित अवकाश समूह-ख	30 दिन का उपार्जित/भैषजिक/बाल्य देखभाल अवकाश/पितृत्व अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार	मण्डलीय अपर निदेशक	-
3	अवकाश (भैषजिक अवकाश)/उपार्जित अवकाश /चिकित्सा अवकाश समूह-ग-घ	उपार्जित/भैषजिक/बाल्य देखभाल अवकाश/पितृत्व अवकाश	मु0प0चि0अ0	संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों ग एवं घ के उपरोक्त अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार कार्यालयाध्यक्ष का है

2.2 वित्तीय शक्तियां—

शासनादेश संख्या ए-2/970/दस-96-24(7)/95 दिनांक 23 जून,1996 के अनुसार विभागाध्यक्ष एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों को प्राप्त वित्तीय अधिकार निम्न प्रकार प्रदत्त हैं—

क्र.सं.	मद	अपर निदेशक को प्राप्त अधिकार	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को प्राप्त अधिकार
1	अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के प्रयोग के लिए पुस्तकें एवं समाचार पत्रों का क्रय	रूपये - 1200.00	रूपये - 1200.00
2	अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिए मुद्रण कराना	रूपये - 5000.00	रूपये - 5000.00
3	डेमेज/क्षतिपूर्ति आदि	रूपये - 1000.00	रूपये - 1000.00
4	छोटे निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति	रूपये - 25000.00	—
5	सामान साज सज्जा के लिए	रूपये - 1000.00	रूपये - 1000.00
6	निष्प्रयोज्य सामान का विक्रय	रूपये - 5000.00	—

1	लघु प्रशस्ति/प्रताड़ना/चेतावनी	समूह—ख 1—मुख्यपशुचिकित्साधिकारी एवं समकक्ष जिलास्तरीय अधिकारी समूह—ग—घ	मण्डलीय अपर निदेशक कार्यालयाध्यक्ष
---	--------------------------------	--	---

2.3 अपर निदेशक कार्यालय के कर्तव्य का विवरण

पदनाम	कर्तव्य
अपर निदेशक, कुमायूं मण्डल, नैनीताल	पूर्व से चली आ रही मण्डलीय व्यवस्था के अन्तर्गत अपने—अपने मण्डलों के अन्तर्गत आने वाले जनपदों के मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों के ऊपर आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण रखना। विभागीय कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण, निरीक्षण करना एवं प्रतिनिधायित अधिकारों के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालय हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान करना तथा मण्डल स्तर पर आयुक्त को विभागीय कार्यक्रमों की आवश्यक जानकारी एवं बैठकों आदि में विभागीय प्रतिनिधित्व करना।

मैनुअल-3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं

मैनुअल-3

विषय सूची

क.सं	विवरण
3.1	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं
3.2	पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड
3.3	पशुपालन विभाग के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण-
3.4	पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड राज्य के कार्यकलापों का विवरण

3.1 विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व निम्न है—

मण्डल स्तर में योजनाओं /कार्यों पर नियंत्रण/अनुश्रवण	अपर निदेशक, मण्डल
जनपद स्तर पर	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
विकास खण्ड स्तर पर	पशु चिकित्साधिकारी, ग्रेड-1
ग्राम पंचायत स्तर पर	पशुधन प्रसार अधिकारी

3.2 पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

महत्वपूर्ण विकास योजनाओं तथा कार्यक्रमों का समयबद्ध क्रियान्वयन प्रदेश के विकास व लोक प्रशासन की दक्षता बढ़ाने की दिशा में अत्यन्त आवश्यक है । इसी क्रम में शासन ने समयक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों /योजनाओं को चिन्हित कर इन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/योजनाओं के सम्बन्ध में वार्षिक लक्ष्य/वैच मार्कस तय करके इनकी प्राप्ति के लिए शासन में विभागाध्यक्ष कार्यालय में और फील्ड में जिला स्तर से लेकर छोटी इकाई तक अधिकारी/कर्मचारी का स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय । ताकि समय से निर्धारित लक्ष्य /वैच मार्कस प्राप्त नहीं किये जाने पर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके ।

पशुधन विकास का मुख्य उद्देश्य पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुओं के सम्भावित रोगों के बचाव हेतु टीकाकरण, रोगग्रस्त पशुओं की सामयिक चिकित्सा उपलब्ध कराना, दुग्ध, अण्डा, मांस एवं ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना, कृ.ग.के माध्यम से स्वदेशी नस्लों को सुधार, स्वदेशी प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन, विदेशी नस्ल की प्रजातियों का प्रसार तथा उन्नतिशील प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने एवं पशुपालकों के द्वार पर कृ०ग०की सुविधा उपलब्ध आदि कराना है । इसके अतिरिक्त रोजगार सृजन से सम्बन्धित कार्यक्रमों का विस्तार एवं ग्रामीण अंचलों में पिछड़ें, निर्बल वर्ग के सामयिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु पशुधन विभाग द्वारा उर्पयुक्त लक्ष्य निर्धारण हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहें हैं -

1-प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में पशुधन की उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु प्रादेशिक प्रजनन की नीति निर्धारित की गई है । इसके अन्तर्गत विदेशी डेरी प्रजातियों के साथ गैर प्रजातीय गौ पशुओं को संकरण कराना, उत्तराखण्ड क्षेत्र में जर्सी प्रजाति तथा अन्य क्षेत्रों में फ्रीजियन प्रजाति से संकरण करना, गौ एवं महिष वंशीय स्वदेशी प्रजातियों का अनुवांशिक सुधार करने से सम्बन्धित नीति अपनाई जा रही है ।

2-पशुचिकित्सा एवं संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय, पशु प्रजनन की सुविधा, पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन, हरा चारा उत्पादन में वृद्धि, लघु पशुओं के विकास कार्यक्रमों के माध्यम से पशु उत्पादों में वृद्धि लाने हेतु तथा ग्रामीण अंचल के कमजोर वर्ग को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है ।

3- प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों के आश्रित बेरोजगार युवक, युवतियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं उनके आर्थिक उन्नयन हेतु ब्रायलर काम्प्लैक्सों की स्थापना पर बल दिया गया है । प्रदेश के समस्त राजकीय पशुधन को लाभकारी बनाने तथा आधुनिक संशाधनों एवं नवीनतम तकनीक से सुसज्जित करने के उद्देश्य से प्रदेश में उत्तराखण्ड लाइव स्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड की स्थापना की जा चुकी है ।

4-पशुधन विकास में पौष्टिक चारे की विकास हेतु वायोमास उत्पादन, प्रमाणित चारा बीज उत्पादन, चारा बीज मिनीकिट्स के वितरण तथा कृषि योग्य भूमि पर सिलवी, पाश्चर विकसित करने पर बल दिया गया है ।

5-भेड़ एवं ऊन विकास कार्यक्रम में गुणात्मक सुधार लाने हेतु उत्तराखण्ड शीप एवं वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड के शत प्रतिशत सहयोग से एकीकृत उन विकास परियोजना प्रारम्भ की गई है । प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र में बकरी,

कुक्कुट, सूकर, अंगोरा शशक के विकास हेतु विभिन्न रोजगार योजनाएं कार्यान्वित करने पर बल दिया जा रहा है ।

6-पशुधन विकास में विश्व बैंक की सहायता से यू0पी0डी0ए0एस0पी0 का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त स्वरोजगार हेतु पैरावेटस कार्यक्रम लिया गया है जिसमें पशुधन विकास की विभिन्न सेवायें शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार युवको द्वारा पशुपालकों के द्वार पर उपलब्ध कराई जानी है ।

7-9वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में गौ-शालाओं के विस्तार एवं सुदृढीकरण एवं प्रभावशाली रूप से स्वदेशी प्रजाति के गौ-वंश संरक्षण एवं संवर्धन पर विशेष बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्तर्गत उपरोक्त इकाईयां स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवको को स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराने एवं उनके आर्थिक उन्नयन का प्रयास किया जा रहा है ।

3.3 पशुपालन विभाग के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण-

कार्यअधिकारी

अपर निदेशक, मण्डल

कार्यक्रम का नाम-

1-कृत्रिम गर्भाधान-मण्डल के अन्तर्गत आने वाले समस्त जनपदों में कार्यान्वित किये जा रहें हैं, कार्यक्रमों के लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति प्राप्त करने हेतु अनुश्रवण/नियंत्रण एवं जनपदों हेतु आवश्यक निवेशों की सामयिक आपूर्ति कराना जनपद स्तर पर आने वाली कठिनाईयों का त्वरित निराकरण करना,जनपद स्तर पर समन्वय रखना एवं विभिन्न जनपदों का निरीक्षण करना ।

2-उत्पन्न संतति- मण्डल के अन्तर्गत आने वाले समस्त जनपदों में कार्यान्वित किये जा रहें हैं, कार्यक्रमों के लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति प्राप्त करने हेतु अनुश्रवण/नियंत्रण एवं जनपदों हेतु आवश्यक निवेशों की सामयिक आपूर्ति कराना जनपद स्तर पर आने वाली कठिनाईयों का त्वरित निराकरण करना,जनपद स्तर पर समन्वय रखना एवं विभिन्न जनपदों का निरीक्षण करना

3-टीकारण-क्षेत्र के सभी पशुओं को रोगनिरोधक टीके लगवाना ।

4-पशु चिकित्सा -पशु चिकित्सा हेतु जनपद स्तर पर पशु चिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्र स्थापित किये गये जहां पर पशुपालकों को उनके बीमार पशुओं की समुचित चिकित्सा सुलभ कराई जाती है ।

5-बधिकरण-निकृष्ट सांडो का बधियाकरण कार्य ।

6-भेड़ों को सामूहिक दवापान-मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत संस्थाओं हेतु सामयिक आवश्यक निवेशों की आपूर्ति, अनुश्रवण,मूल्यांकन तथा जनपद स्तर में समन्वय बनाये रखने एवं कठिनाईयों का निराकरण करवाना ।

7-भेड़ बकरियों एवं सुकरियों में गर्भाधान- भेड़ बकरियों एवं सुकर पालकों को विभागीय प्रक्षेत्रों से उन्नत नस्ल के मेढे आदि उपलब्ध कराये जाते हैं तांकि क्षेत्र में अच्छे नस्ल के भेड़ बकरियां उत्पन्न हो सकें जिससे पशुपालकों के आर्थिक स्थिति में भी सुधार आयेगा ।

8-विभिन्न वैक्सीनों का उत्पादन-उत्पादन, वैक्सीन के उपयोग का उत्तरदायित्व होगा ।

9-तरल नत्रजन संयंत्रों से तरल नत्रजन उत्पादन-यू0एल0डी0बी0, लालकुंआ द्वारा मण्डल के अन्तर्गत तरल नत्रजन संयंत्रों के संचालन हेतु आवश्यक सहयोग/मार्गदर्शन एवं अनुश्रवण तथा नाईट्रोजन के वितरण की व्यवस्था/संस्थाओं से समन्वय रखना ।

10-अतिहिमीकृत वीर्य का उत्पादन कार्यक्रम- मण्डल में कार्यरत अतिहिमीकृत वीर्य का उत्पादन के संचालन हेतु आवश्यक सहयोग/मार्गदर्शन एवं उत्पादन में आने वाली समस्याओं का निराकरण/समन्वय रखना ।

11-अम्बेडकर स्वरोजगार योजना-कार्यरत योजनाओं का निरीक्षण ।

12-कुक्कुट विकास-

अ-कुक्कुट वितरण-मण्डल में इच्छुक कुक्कुट पालकों तथा कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु तथा अन्य संस्थाओं पर समन्वय बनाये रखने का पूर्ण उत्तरदायित्व ।

ब-राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र पर चूजा उत्पादन एवं वितरण-लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति हेतु प्रक्षेत्र/क्षेत्रों का अनुश्रवण / निरीक्षण /मार्गदर्शन एवं आनी वाली कठिनाईयों का निराकरण एवं जिला स्तर पर समन्वय बनाये रखना । इसके अतिरिक्त मण्डल में कार्यरत कुक्कुट काम्पलेक्सेज को सुचारु रूप से क्रियाशील

बनाये रखना एवं विभिन्न स्तरों पर समन्वय रखना 13—राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों में चारा—मण्डल में कार्यरत प्रक्षेत्रों पर चारा उत्पादन के लक्ष्यों के शतप्रतिशत पूर्ति हेतु प्रयास करना तथा प्रक्षेत्रों का अनुश्रवण/निरीक्षण एवं दिशा निर्देश, आने वाली कठिनाईयों का निराकरण एवं उत्पादित चारा बीजों का वितरण करवाना ।

14—चारा विकास कार्यक्रम—

अ—चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण एवं सघन पशु विकास योजना – मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को सामयिक निवेशों को उपलब्ध कराना तथा कार्यों का अनुश्रवण, निरीक्षण, मार्गदर्शन देना तथा नई योजनाओं पर आख्या देना ।

ब—अपौष्टिक चारे एवं सैल्युलोजिक वेस्टस को उपचारित कर पौष्टिक बनाना—योजना का सत्यापन एवं तकनीकी मार्गदर्शन देना ।

स—बायोमास उत्पादन में वृद्धि हेतु सिल्वी –पाश्चर की योजना—योजना का सत्यापन एवं तकनीकी मार्गदर्शन देना ।

द—चारा मिनिक्विट एवं प्रदर्शन –प्राप्त मिनिक्विटों को मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को उपलब्ध कराना ।

3.4 पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड राज्य द्वारा किये जाने वाले कार्यकलापों का विवरण निम्न प्रकार है—

1—पशु चिकित्सा एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम

2—पशु विकास कार्यक्रम

3—कुक्कुट विकास कार्यक्रम

4—भेड़ एवं ऊन विकास कार्यक्रम

5—अंगोरा बकरी विकास

7—सूकर विकास

8—चारा विकास कार्यक्रम

9—शिक्षण ऊन प्रशिक्षण कार्यक्रम

0 पशु चिकित्सा एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम—पशुओं के उत्पादन क्षमता का समुचित लाभ प्राप्त करने के लिए पशुओं के स्वास्थ्य संरक्षण एवं रोग नियंत्रण हेतु विभिन्न सुविधायें कराने के उद्देश्य से मण्डल के अन्तर्गत जनपद नैनीताल/उधमसिंहनगरअल्मोड़ा/बागेश्वर/पिथौरागढ़/चम्पावत में क्रमशः 28.22.37,10,31,13 कुल 141 पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं। विभिन्न रोगों की जांच एवं उनके तत्काल निदान हेतु एक मण्डलीय प्रयोगशाला हवालबाग जनपद अल्मोड़ा एवं रोग निदान प्रयोगशाला, रूद्रपुर जनपद उधमसिंहनगर में कार्यरत है । यह पशु संक्रामक रोगों के नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ।

0 पशु विकास कार्यक्रम—पशु विकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य मण्डल में गायों एवं भैंसों की नस्ल सुधार कर उनकी उत्पादकता एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना है ।

0 कुक्कुट विकास—अण्डा एवं कुक्कुट मांस की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु मण्डल स्तर पर स्थापित तीन कुक्कुट प्रक्षेत्र क्रमशः—हवालबाग(अल्मोड़ा), विण(पिथौरागढ़) एवं रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) के माध्यम से कुक्कुट पालकों जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आर्थिक दशा सुधारने हेतु कुक्कुट पक्षी सस्ते मूल्य पर वितरित किये जाते हैं तथा कुक्कुट विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कुक्कुट पालन व्यवसाय अपनाने हेतु मण्डल के अन्तर्गत स्थापित दो सघन कुक्कुट विकास प्रायोजनायें जनपद अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ के माध्यम से कुक्कुट पालकों को प्रशिक्षित कराया जाता है ।

0 भेड़ ऊन विकास—मण्डल में उपलब्ध स्थानीय भेड़ों की नस्ल सुधार एवं ऊन उत्पादन में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से चार भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र एवं 30 भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र कार्यरत हैं जिनके माध्यम से भेड़ पालकों को भेड़ों को प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं ।

0 अंगोरा शशक पालन—पर्वतीय क्षेत्र के 4500—5000 फीट की ऊंचाई वाले स्थानों में अंगोरा शशक पालन को बढ़ावा देने हेतु मण्डल में जनपद चम्पावत में अंगोरा शशक प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित है। जिनके माध्यम से इच्छुक उद्यमियों को शशक पालन में प्रशिक्षित करवाकर शशक शावक उपलब्ध कराये जाते हैं ।

0 चारा विकास कार्यक्रम—पर्वतीय क्षेत्र में कृषि योग्य सिंचित भूमि पर पशुओं के पोषण हेतु पौष्टिक आहार उत्पादन के लिए उन्नत चारा बीजों को कृषकों में वितरित किया जाता है ।

0 शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम—पशुपालन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए शिक्षित/अशिक्षित युवक एवं युवतियों को दुग्ध उत्पादन, कुक्कुट पालन, भेड़ पालन आदि के लिए पशुलोक प्रक्षेत्र में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है ।

सेवा का नाम	सेवाओं का विवरण	सेवा हेतु किससे सम्पर्क करना है	सर्विस चार्ज यदि कोई हो
प्राथमिक पशु चिकित्सा / आपतकालीन पशु चिकित्सा सेवा	ग्राम सभा/न्याय पंचायत स्तर पर पशु सेवा केन्द्र,विकास खण्ड एवं तहसील स्तर पर पशु चिकित्सालयों के माध्यम से	प0प्र0अ0 / प0चि0अ0	पशु सेवा केन्द्र/प.चि. पर बड़े पशु प्रति 10 रूपया,छोटे पशु प्रति 5 रूपया, कुत्ता, बिल्ली (शहरी क्षेत्र) प्रति 40.00, (ग्रामीण क्षेत्र) 10 रूपया तथा प्रति कुक्कुट निःशुल्क
बधियाकरण	ग्राम सभा/न्याय पंचायत स्तर पर पशु सेवा केन्द्र,विकास खण्ड एवं तहसील स्तर पर पशु चिकित्सालयों के माध्यम से अनुपयोगी पशुओं को बधियाकरण किया जाता है	पशुधन प्रसार अधिकारी पशुचिकित्साधिकारी/ पैरावैट	बड़े पशु संस्था पर रूपया 15.00,पशुपालकों के द्वार पर 25.00, छोटे पशु संस्था पर 10.00, पशुपालकों के द्वार पर 15.00 प्रति
टीकाकरण	ग्राम सभा/न्याय पंचायत स्तर पर पशु सेवा केन्द्र,विकास खण्ड एवं तहसील स्तर पर पशु चिकित्सालयों एवं शिविर स्थल पर टीकाकरण किया जाता है	पशुधन प्रसार अधिकारी पशुचिकित्साधिकारी/ पैरावैट	एच.एस.वी.क्यू. रूपया 1.00, एफ.एम.डी.मूल्य रूपया 2.00, एण्टेरोटाक्सिमियां 1.00, स्वाइन फीवर 2.00, फाउल पाक्स 1.00, पी.पी.आर. मूल्य रू0 1.00, आर0पी0 1.00, शीपपाक्स 1.00
कृत्रिम गर्भाधान	ग्राम सभा/न्याय पंचायत स्तर पर पशु सेवा केन्द्र,विकास खण्ड एवं तहसील स्तर पर पशु चिकित्सालयों, प्रशिक्षित पैरावैट एवं शिविर आयोजित स्थल पर कृ.ग.सेवा	पशुधन प्रसार अधिकारी पशुचिकित्साधिकारी/ पैरावैट	60.00 रूपया प्रति स्ट्रा प्रति कृ.ग. (केन्द्र पर) पशुपालकों के द्वार पर 100.00 रूपया प्रति स्ट्रा प्रति कृ.ग. लिंग निर्धारित डी0एफ0एस0 हेतु प्रति स्ट्रा रू0 677.50 (चयनित जनपदों में)
जांच सेवार्यें	रक्त, मल, मूत्र जांच	पशुधन प्रसार अधिकारी पशुचिकित्साधिकारी	रक्त 10.00 मल 5.00 मूत्र 5.00
स्वास्थ्य परीक्षण	बड़े तथा छोटे पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण पशु बीमा तथा योजनान्तर्गत प्रमाण पत्र जारी करना	पशुधन प्रसार अधिकारी पशुचिकित्साधिकारी/ पैरावैट	बड़े पशु 50.00 छोटे पशु 20.00
शवविच्छेदन	बीमित पशुओं तथा पशुपालकों की मांग पर पशुओं का शवविच्छेदन प्रमाण पत्र जारी करना	पशुधन प्रसार अधिकारी पशुचिकित्साधिकारी	बड़े पशु 100.00 छोटे पशु 20.00
चारा बीज वितरण	मौसमी चारा बीजों का वितरण	पशुधन प्रसार अधिकारी पशुचिकित्साधिकारी/ पैरावैट	निःशुल्क
कृमिनाशक दवापान एवं दवास्नान	भेड़ों में आन्तरिक एवं बाह्य पारजीवियों से बचाव हेतु दवापान एवं दवास्नान	पशुधन प्रसार अधिकारी पशुचिकित्साधिकारी	दवापान रू0 100 प्रति 100 भेड़/बकरी दवास्नान रू0 50 प्रति 100 भेड़/बकरी
बड़े पशुओं में दवापान	आन्तरिक पारजीवी से बचाव हेतु बड़े पशुओं में दवापान	पशुधन प्रसार अधिकारी पशुचिकित्साधिकारी	रू0 10.00 प्रति पशु
दुग्ध समिति के मार्गों पर पशुपालन संबंधी सूचनाएं	दुग्ध समिति के सदस्यों को प्राथमिक उपचार के तथा द्वार पर पशुपालन सुविधा उपलब्ध कराना	पशुधन प्रसार अधिकारी पशुचिकित्साधिकारी	प्राथमिक किट निःशुल्क अन्य सुविधा विभागीय नियमानुसार
अनु0जाति/जनजाति योजनान्तर्गत दुधारू पशुओं तथा बैक्यार्ड कु0 पालन योजना	अनु0जाति/जनजाति के लाभार्थियों को स्वरोजगार हेतु दुधारू पशु तथा कायलर कु0 पक्षी उपलब्ध कराना	पशुधन प्रसार अधिकारी पशुचिकित्साधिकारी	योजना के प्राविधानों के अनुसार
बॉझपन निवारण शिविर/ गोष्ठी	सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पशुपालन संबंधी सुविधाएं तथा प्रचार प्रसार करना	पशुधन प्रसार अधिकारी पशुचिकित्साधिकारी	विभागीय नियमानुसार
पशुप्रदर्शनी	पशुपालन के प्रति जागरूकता एवं प्रतिस्पर्धा की भावना जागरूक करने हेतु पशुप्रदर्शनी का आयोजन	पशुधन प्रसार अधिकारी पशुचिकित्साधिकारी	निःशुल्क

मैनुअल-4

कृत्यो के निर्वहन के लिए स्थापित
मानक / नियम

**The norms set by its for
discharged its function**

मैनुअल – 4

विषय सूची

क्र०स०	विवरण
4.1	पशुपालन विभाग, कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम
4.2	विभागीय विकास कार्यक्रमों की भौतिक प्रगति वर्ष 2010-11
4.3	उत्तरांचल लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड स्थापित मानक/नियम
4.4	रियासतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं के संबंध में विवरण

4.1 कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम –

परियोजना को कार्यान्वित करते समय-समय पर विभागीय मानकों के अनुरूप समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं –

1. प्रति मेढा गर्भाधान – 50 भेड़
2. उत्पन्न संतति – 60 प्रतिशत
3. मृत्यु दर – 10 प्रतिशत वयस्क, वत्सों में 12 प्रतिशत
4. ऊन उत्पादन – प्रतिवर्ष प्रतिभेड़ 1.500 किग्रा से 2.00 किग्रा तक
5. अन्य – लक्ष्यानुसार प्रगति समीक्षा की जाती है। मण्डल में स्वीकृत राजकीय मेढा/भेड़ एवं उन प्रसार केन्द्रों का वार्षिक प्रगति के आधार पर श्रेणीकरण किया जाता है।

4.2 विभागीय विकास कार्यक्रमों की लक्ष्य के सापेक्ष भौतिक प्रगति वर्ष 2016-17

क्रम संख्या	विवरण	लक्ष्य	पूर्ति
1.	पशुओं की चिकित्सा	2070000	2240368
2.	पशुओं का बधियाकरण	80000	80897
3.	पशुओं का टीकाकरण	2100000	1328179
4.	कुक्कुट पक्षी वितरण	1775000	2364600
5.	बड़े पशुओं का दवापान	83000	144993
6.	भेड़ों में दवास्नान	180000	237347
7.	पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान(गाय/भैंस)	215000	156623
8.	कृ0ग0से उत्पन्न संतति(गाय/भैंस)	90000	78751
9.	भेड़ों में दवापान	180000	261338
10.	चारा बीज वितरण, कु0में	—	785.71 कु0
11.	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला एवं मुनस्यारी के पशुपालकों की आजीविका उत्थान योजना की भौतिक प्रगति		
	1. गाय पालन इकाई	124	124
	2. रैम यूनिट	20	20
	3. खच्चर पालन इकाई	10	10
	4. बकरा सांड वितरण	32	32
	5. बकरी पालन इकाई	12	12
	6. भेड़ पालन इकाई	8	8

4.3 उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड स्थापित मानक/नियम

लोक प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापो/कार्यक्रमो के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने वाले मानक/नियमो का कार्यक्रमवार विवरण ।

नैसर्गिक अभिजनन हेतु सॉड वितरण के मापदण्ड

गाय सॉडो हेतु मानक—

- . नस्ल — जर्सी, जर्सी कॉस, एच0एफ0, एच0एफ0कास, रेड सिन्धी
- . स्वास्थ्य — उत्तम
- . नर जननेद्रिय — विकसित

भैंस सॉड हेतु मानक :

- . नस्ल — मुर्दा
- . स्वास्थ्य — उत्तम
- . नर जननेद्रिय — विकसित

तरल नत्रजन एवं अतिहिमीकृत वीर्य के वितरण का मापदण्ड—

. प्रत्येक माह मे निश्चित अंतराल पर निरंतर कृ0ग0 केन्द्रो पर यू0एल0डी0बी0 के वितरण कर्ता द्वारा मांग के अनुसार चालान द्वारा संबंधित केन्द्र प्रभारी को अतिहिमीकृत वीर्य,तरल नत्रजन,शीथ व स्टेशनरी आदि के आपूर्ति सुनिश्चित, जिसका वितरण यू0एल0डी0बी0 द्वारा प्रदत्त पंजिकाओ मे अंकित करना अनिवार्य है ।

. प्रत्येक माह मे अधिकतम 35 लीटर तक तरल नत्रजन की आपूर्ति एक कृ0ग0 केन्द्र/उपकेन्द्र हेतु निश्चित ।

अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्रा की आपूर्ति न्यूनतम 80 की पैकिंग में ।

कृत्रिम गर्भाधान हेतु मापदण्ड—

. पशु के गर्मी मे आने की सूचना प्राप्त होने पर पशुपालक के द्वार पर कृ0ग0 कार्य होगा ।पशु को केन्द्र पर लाने की बाध्यता नहीं ।

. प्रत्येक राजकीय कृ0ग0 केन्द्र पर सेवा शुल्क रूपया 60.00 मात्र लेकर पशुपालक को रसीद देना अनिवार्य ।

. प्रत्येक कृ0ग0 केन्द्र हेतु एक ही स्ट्रा का प्रयोग निर्धारित ।प्रत्येक अतिरिक्त स्ट्रा के उपयोग पर रूपया 60.00 मात्र का शुल्क जमा करना अनिवार्य ।प्राप्त शुल्क को उसी दिन कैश बुक मे अंकित करना अनिवार्य ।

. निर्धारित किये गये लक्ष्य के अनुसार कृ0ग0 कार्य किया जाना अपरिहार्य ।

. अधिकतम क्षतिग्रस्त स्ट्रा की सीमा वर्ष मे कुल आपूर्ति का 3 प्रतिशत तक ही मान्य अधिक क्षतिग्रस्त की स्थिति मे प्रति स्ट्रा रूपया 60.00 मात्र का भुगतान अनिवार्य ।

4.4 रियासतो,अनुज्ञापत्रो तथा प्राधिकारो के प्राप्तकर्ताओ के सम्बन्ध मे विवरण—

मण्डलीय प्रयोगशालाओं की प्रगति वर्ष 2016—17

क्रम संख्या	मद	म0प्र0हवालबाग	कु0रो0नि0प्र0 रुद्रपुर
1.	कुल परीक्षण नमूनों की संख्या	2322	7930
2.	थनैला हेतु पशु का निरीक्षण	214	102
3.	त्वचा खुरचन	112	830
4.	मल मूत्र परीक्षण	206	201
5.	रक्त परीक्षण	314	820
6.	फीकल सैम्पल परीक्षण	716	5055
7.	शोध प्रयोगशाला को भेजे गये नमूने	760	922

मैनुअल – 5

शासनादेशों का संग्रह

- मैनुअल 5 के अंतर्गत विभागीय शासनादेशों का संकलन किया गया है, जिन्हें पृथक से संग्रहित किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की
धारा-4

17 मैनुअलों का संग्रह

भाग-3

मैनुअल संख्या 6,7,8

उत्तराखण्ड शासन

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग, नैनीताल ।

भाग – 3

हस्तपुस्तिका की सामग्री

क्र०सं०	विवरण
1	मैनुअल-6 ऐसी दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण
2	मैनुअल-7 किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यन्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं
3	मैनुअल-8 ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं जिनका उसके भाग रूप या इस बारे में सलाह देने के प्रायोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठक के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी ।

मैनुअल – 6

दस्तावेजों जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित
या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों के अनुसार
विवरण

**A statement of the categories of
documents that are held by it or
under its control**

मैनुअल – 6

विषय सूची

क्र०सं०	दस्तावेज
6.1	अपर निदेशक स्तर पर रखे जाने वाले दस्तावेज
6.2	अपर निदेशालय कार्यालय मे रखे जाने वाले अभिलेख
6.3	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी कार्यालय स्तर के दस्तावेज
6.4	जनपद स्तर पशुचिकित्सालय/पशुसेवा केन्द्र स्तर के दस्तावेज
6.5	पशुधन प्रसार अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का विवरण
6.6	निरीक्षणालय द्वारा संस्तुत सामान्य अभिलेखों का वीडिंग हेतु निर्धारित समय/अवधि

6.1 अपर निदेशक स्तर पर रखे जाने वाले दस्तावेज

क्र०सं०	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम/परिचय
1	लेखा	<ol style="list-style-type: none"> 1.बजट आवंटन संबंधी पत्रावली 2.बजट अनुमान 3.बचत एवं व्ययाधिक्य 4.शासनादेश एवं सर्कुलर 5.भौतिक सत्यापन 6.विभागीय आडिट 7.महालेखाकार आडिट 8.विविध पत्रों की पत्रावली 9.बजट पंजिका पत्रावली 10.कन्टिजेन्ट बिल रजिस्टर नॉन प्लान 11.कन्टिजेन्ट रजिस्टर प्लान 12.टी०एस०चैक रजिस्टर 13.टी०ए०बिल रजिस्टर 14.यात्रा स्वीकृत रजिस्टर 15.यात्रा भत्ता पत्रावली 16.शासनादेश की पत्रावली
2	कैश	<ol style="list-style-type: none"> 1.11सी रजिस्टर 2.ट्रेजरी गार्ड रजिस्टर 3.नगद/चैक भुगतान पंजिका 4.कैश बुक 5. ट्रेजरी से प्राप्त चैक पंजिका 6.बैंक ड्राफ्ट प्रेषण पंजिका 7.बैंक ड्राफ्ट प्राप्ति पंजिका 8.प्राप्ति पंजिका 9.ट्रेजरी प्लान पंजिका 10.एस०पी०एस० पंजिका 11.कैश की डुप्लीकेट चाबियों की पंजिका 12.रसीद बुक 13.वेतन संबंधित पंजिका 14.सामान्य पत्र व्यवहार 15.राष्ट्रीय बचत पत्रावली 16.मासिक आय विवरण पंजिका 17.डेड स्टॉक पंजिका 18.स्टेशनरी रजिस्टर 19..टाइप राइटर्स/डुप्लीकेट रजिस्टर/कम्प्यूटर/फोटो मशीन रजिस्टर 20.टेलीफोन रजिस्टर/फैक्स रजिस्टर 21..आडिट रजिस्टर 22.पुस्तकालय रजिस्टर 23. वीडिंग पंजिका 24. कन्ज्यूमेबल पंजिका 25 सूचना अधिकार से संबंधित पंजिका 26. चैक/ड्राफ्ट पंजिका 27 विद्युतकर/जलकर/भवन कर पंजिका 28 वर्दी पंजिका

6.2 अपर निदेशक कार्यालय मे रखे जाने वाले अभिलेख

क्र०सं०	प्रवर्ग का नाम	दस्तावेजों का नाम
1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	<ol style="list-style-type: none"> 1. उपस्थिति पंजिका 2. आकस्मिक अवकाश पंजिका 3. आदेश पंजिका 4. सू०अ०अ०-2005 अनुरोध से संबंधित पंजिका/पत्रावली 5. सू०अ०अ०-2005 अपील से संबंधित पंजिका/पत्रावली 6. वार्षिक चरित्र प्रविष्टि पत्रावली 7. कार्यालय आदेश पत्रावली
2	स्थापना	<ol style="list-style-type: none"> 1. सम्पत्ति पंजिका 2. गार्ड फाईल 3. पत्रावली पंजिका 4. डाक लेखा पंजिका 5. पत्रावली निक्षेप पंजिका 6. सेवा पुस्तिकाएं 7. प्रविष्टि संबंधी अभिलेख 8. पेंशन पंजिका 9. रजिस्ट्रों का रजिस्टर 10. सर्विस पोस्टेज स्टेम्प रजिस्टर 11. स्थानीय डाक बही रजिस्टर 12. निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यो का रजिस्टर 13. अनुशासनिक कार्यवाही का रजिस्टर 14. वार्षिक वेतनवृद्धि पंजिका 15. मृतक आश्रितों को सेवायोजित करने संबंधित पंजिका 16. स्वीकृत पदों से संबंधित पंजिका
	स्थापना अन्य अभिलेख	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्रेणीवार पदों की संख्या-भरे हुए, रिक्त पद, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के आरक्षण की स्थिति प्रत्येक श्रेणी मे । 2. जनपद मे पदस्थ अधिकारियो एवं कर्मचारियो की सेवा पुस्तिकाएं, उपलब्ध यदि नही तो क्यो, सेवा पुस्तिकाओ का मूवमेन्ट रजिस्टर।
	प्रेषण/प्राप्ति अभिलेख	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रेषण पंजिका 2. प्राप्ति पंजिका 3. शासकीय डाक टिकट पंजिका 4. स्थानीय डाक पंजिका

6.3 मुख्य पशुचिकित्साधिकारी कार्यालय मे रखे जाने वाले अभिलेखों की सूची लेखा पटल पंजिकाएं

1. प्रासंगिक बिल पंजिका आयोजनेत्तर
2. प्रासंगिक बिल पंजिका आयोजनागत
3. यू0एल0डी0बी0 से प्राप्त प्रासंगिक बिलो की पंजिका
4. शीप एण्ड वूल बोर्ड से प्राप्त प्रासंगिक बिलो की पंजिका
5. कण्टीजैन्ट बिल चैक पंजिका (आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत)
6. यू0एल0डी0बी0 से प्राप्त बिलो की चैक पंजिका
7. शीप एण्ड वूल बोर्ड से प्राप्त बिलो की चैक पंजिका
8. अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित कण्टीजैन्ट बिलो की चैक पंजिका
9. अनुसूचित जाति/जनजाति की प्रासंगिक बिल पंजिका
10. एस्कैड योजना के अंतर्गत प्रासंगिक बिलो की पंजिका
11. आर0पी0/पी0पी0आर0 प्रासंगिक बिलो की पंजिका
12. अग्रिम आहरण हेतु पंजिका
13. समायोजन लेखो की पंजिका
14. बी0एम0-8 पंजिका

पत्रावलियों

1. व्यय विवरण पत्रावली(आयोजनेत्तर)
2. व्यय विवरण पत्रावली(आयोजनागत)
3. व्यय विवरण पत्रावली 2515 पंचायत राज
4. वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पत्रावली(अनुसूचित जाति/जनजाति)
5. वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पत्रावली(आयोजनागत जिला योजना)
6. यू0एल0डी0बी0 से संबंधित पत्रव्यवहार की पत्रावली
7. उत्तरांचल शीप एण्ड वूल बोर्ड से संबंधित पत्रव्यवहार की पत्रावली
8. 2515 पंचायती राज से संबंधित पत्रव्यवहार की पत्रावली
9. आर0पी0/पी0पी0आर0 से संबंधित पत्रावली
10. एस्कैड योजना से संबंधित पत्रव्यवहार की पत्रावली
11. जिला योजना से संबंधित पत्रव्यवहार की पत्रावली
12. जिला योजना वर्ष 2005-06
13. वाहनो की मरम्मत से संबंधित पत्रावली
14. उत्तराखंड महिला उत्थान योजना के अंतर्गत वाहन संख्या 3475 की पत्रावली
15. पशुचिकित्सालय/पशुसेवा केन्द्र के लघु निर्माण मरम्मत की पत्रावली
16. लेखन सामग्री की कोटेशन से संबंधित पत्रावली
17. सचल वाहन के कोटेशन से संबंधित पत्रावली
18. दवाईयों/उपकरण/औजार/वैक्सीन के क्रय से संबंधित पत्रावली
19. विविध पत्रावली
20. चारा बीजो के क्रय से संबंधित पत्रावली
21. प्रासंगिक बिलो से संबंधित पत्रव्यवहार की पत्रावली
22. अग्रिम आहरित धनराशि के समायोजन लेखे भेजे जाने से संबंधित पत्रावली
23. आय-व्ययक अनुमान 2403 पशुपालन आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत
24. 2515 पंचायत आय-व्ययक अनुमान
25. निर्माण कार्यो की पत्रावली
26. ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा से निर्माण कार्यो की वित्तीय प्रगति से संबंधित पत्रावली

27.कम्प्यूटर से संबंधित पत्रावली

6.4 जनपद स्तर/पशुचिकित्सालय/पशुसेवा केन्द्र स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख

- 1.कैश बुक पंजिका
- 2.रसीद बुक पंजिका
- 3.बाह्य रोग पंजिका
- 4.डेली इश्यू पंजिका
- 5.सामान्य स्कन्ध पंजिका
- 6.अंग्रेजी औषधी स्कन्ध पंजिका
- 7.देशी औषधी पंजिका
- 8.डेड स्टाक पंजिका
- 9.विविध स्कन्ध पंजिका
- 10.कृत्रिम गर्भाधान पंजिका
- 11.उत्पन्न संतति पंजिका
- 12.सीमन स्ट्रॉ एवं तरल नत्रजन पंजिका
- 13.कृत्रिम गर्भाधान से प्राप्त शुल्क की रसीद पंजिका (यू0एल0डी0बी0)
- 14.प्रगति पंजिका
- 15.चारा बीज पंजिका
- 16.टीकाकरण पंजिका
- 17.कुक्कुट विकास पंजिका
- 18.डे बुक पंजिका
- 19.आउट ब्रेक पंजिका
- 20.कन्ज्यूमेबिल सामग्री पंजिका
- 21.विविध पंजिका
- 22.एस0पी0एस0 पंजिका
- 23.डाक प्राप्ति एवं प्रेषण पंजिका
- 24.भ्रमण पंजिका
- 25.निरीक्षण पंजिका
- 26.स्वास्थ्य/शव परीक्षण (vetro) लीगल पंजिका
- 27.भवन पंजिका
- 28.उपस्थिति पंजिका
- 29.आकस्मिक अवकाश एवं अन्य अवकाश पंजिका
- 30.विद्युत पंजिका
- 31.जल पंजिका
- 32.टेलीफोन पंजिका
- 33.लेखन सामग्री पंजिका
- 34.रजिस्टर ऑफ रजिस्टर पंजिका
- 35.पत्रावली सूची पंजिका

6.5 पशुधन प्रसार अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का विवरण

संख्या 677(1)XV-1/2(68)2005/दिनांक जनवरी 2006

1. विभागीय संस्थाओं/क्षेत्रों पर बीमार पशुओं/पक्षियों की आवश्यकतानुसार प्राथमिक चिकित्सा/उपचार करना ।
2. विभागीय संस्थाओं के मुख्यालय तथा क्षेत्र भ्रमण पर अनैच्छिक पर पशुओं का बधियाकरण करना ।
3. मुख्यालय/क्षेत्र भ्रमण पर, पशु पक्षियों के संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु रोग निरोधक टीकाकरण करना ।
4. संक्रामक बीमारियों के संक्रमण होने पर उनके निवारण के उपाय करना था उच्चाधिकारियों को सूचित कर उनके मार्गदर्शन कार्य करना ।
5. अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत गम्भीर रोगी पशुओं को आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा/उपचार सेवायें उपलब्ध कराना ।
6. अपने मुख्यालय तथा क्षेत्र भ्रमण पर कृ0ग0कार्य करना । गर्भ संतति निरीक्षण करना तथा तदनुसार अभिलेख करना ।
7. आन्तरिक अंगों को छोड़कर लघु शल्य चिकित्सा द्वारा पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा/उपचार करना ।
8. भेड़ बकरियों को ड्रैचिंग एवं डीपिंग कराना ।
9. अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत पशुधन विकास कार्यक्रमों की प्रगति सूचनायें, आकड़े आदि संकलित करना एवं विकास सम्बन्धी अन्य कार्यों के निरीक्षण एवं अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के भ्रमण के समय उनके साथ रहना तथा अपेक्षित सहयोग प्राप्त करना ।
10. विकास मेला, पशु मेला, पशुप्रदर्शनी, पशु रैली, टीकाकरण कैम्प हेतु प्रचार प्रसार करना, उसके लिए अनुकूल वातावरण बनाना तथा सम्पन्न कराने में उच्चाधिकारियों का सहयोग करना
11. मादा पशुओं की जनन क्षमता का पूरा उपयोग करने हेतु बाझपन निवारण कैम्प आयोजित करना तथा पशु चिकित्साधिकारी के मार्ग निर्देशन में पीड़ित पशु की प्राथमिक चिकित्सा/उपचार करना ।
12. पशुपालक को पशुओं के रखरखाव, पालन पोषण तथा संतुलित पशु आहार के सन्दर्भ में जानकारी देना ।
13. अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के सम्पादन हेतु पशुधन प्रसार अधिकारी अपने संस्था से सम्बन्धित निम्नलिखित पंजिकाओं का उपयोग करना –
1. बाह्य रोगी पंजिका ।
2. दैनिक औषधि वितरण पंजिका ।
3. औषधि पंजिका ।
4. स्कन्ध सामग्री पंजिका ।
5. निष्प्रयोज्य सामग्री पंजिका ।
6. वैक्सीन/शीरा वैक्सीन पंजिका ।
7. टीकाकरण पंजिका ।
8. वाह्य संक्रमण पंजिका ।
9. रोकड़ बही ।
10. कृत्रिम गर्भाधान पंजिका ।
11. वीर्य/तरल नत्रजन प्राप्त पंजिका ।
12. सांड पंजिका ।
14. संतति पंजिका ।
15. प्रगति पंजिका ।
16. पशुगणना पंजिका ।
17. दैनन्दिनी पंजिका ।
18. उपस्थिति पंजिका ।
19. ब्रीडिंग एवं कवरिंग पंजिका ।
20. कुक्कुट विकास सम्बन्धी पंजिका

6.6 निरीक्षणालय द्वारा संस्तुत सामान्य अभिलेखों का वीडिंग हेतु निर्धारित समय/अवधि

क्र. सं.	अभिलेखों का नाम/विषय	समय/अवधि जब तक सुरक्षित रखा जाय/नष्ट किया जाय	विशेष टिप्पणी
1	सामान्य पत्रव्यवहार उपस्थिति पंजी प्रांतीय फार्म न.161	एक वर्ष	
2	आकस्मिक अवकाश पंजी(एम.जी.ओ.1981 संस्करण पैरा-1046)	समाप्त होने के एक वर्ष	
3	आडिट महालेखाकार/विभागीय आन्तरिक लेखाधिकारी द्वारा की की पत्रवालियां	आपत्तियों के अन्तिम समाधान के पश्चात अगले आडिट तक	
4	आय-व्यय की अनुमान की पत्रावलिया	10 वर्ष	
5	सरकारी धन औजर का आहरण कमी निष्प्रयोज्य वस्तुओं के निस्तारण आदि सम्बन्धी पत्रावलिया	अन्तिम निर्णय व वसूली राइट आफ के पश्चात 3 वर्ष	
6	डैड स्टॉक क्षयशील/उपभोग वस्तुओं एवं पुस्तकालय हेतु क्रय की गई पुस्तकों आदि के पत्रव्यवहार सम्बन्धी पत्रावलिया	स्टॉक बुक में प्रविष्टि ,विभिन्नताओं के समाधान एवं सत्य सम्बन्धी आडिट आपत्तियों के समाधान के पश्चात एक वर्ष	
7	निरीक्षण टिप्पणियां एवं उनके अनुपालन सम्बन्धी पत्रव्यवहार की पत्रावलिया	उठाये गये बिन्दुओं दिये गये सुझाओं के कार्यान्वयन के बाद अगले निरीक्षण तक	
8	अधिकारों के मांग के प्रस्ताव एवं अधिकारों के प्रतिनिधायन डेलीगेशन आफ पावर्स के आदेशों से सम्बन्धित पत्रावलियां	स्थायीरूप से	
9	प्रपत्रों के मुद्रण सम्बन्धी पत्रावलियां	आडिट आपत्तियों के अन्तिम निस्तारण के पश्चात एक वर्ष	
10	लेखन सामग्रियों /प्रपत्रों के मांग पत्र इन्डेण्ट स्टेशनरी मैनुअल का पैरा-37 तथा 39 क्रमशः प्रांतीय प्रपत्र 173 तथा 174	तीन वर्ष तक	
11	दौरों के कार्यक्रम टूर डैयरी आदि कोई निर्धारित हो	एक वर्ष बाद या गोपनीय चरित्रावली में प्रविष्टियां पूर्ण होने के बाद जो भी प्रतिफल प्रविष्टियों से सम्बन्धित हो तो उसे प्रत्यावेदनों के अन्तिम निस्तारण के एक वर्ष बाद	

मैनुअल-7

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उसे प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था

The particulars of any arrangement that exists for consultation with or representation by, The members of the public in relation to the the formulation of its policy or implementation therefor

मैनुअल-7

विषय सूची

कं.सं.	विवरण
7.1	नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधि से परामर्श के बनाई गई व्यवस्था का विवरण
7.2	नीति क्रियान्वयन हेतु

7.1 नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधि से परामर्श के बनाई गई व्यवस्था का विवरण

5.1—लोक प्राधिकरण नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जनप्रतिनिधियों का परामर्श / भागीदारी का प्राविधान

विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1—योजना के क्रियान्वयन	हां	बोर्ड की गवर्निंग बौडी में कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं भेड पालकों का नामांकन

5.1 लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधियों के परामर्श/भागीदारी का प्राविधान।

क्रमांक	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है (हां/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु की गई व्यवस्था
1.	उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड(यू0एल0डी0बी0)	हां	यू.एल.डी.बी. के बोर्ड में जन प्रतिनिधि के रूप में उपाध्यक्ष का नामांकन शासन द्वारा किया गया है।
2.	यू.एल.डी.बी. की गवर्निंग बरैडी	हां	यू.एल.डी.बी. की नीतियों के निर्धारण में सहभागिता हेतु इसके बोर्ड में 1.दुग्ण संघों के प्रतिनिधि 2.गोशालाओं के प्रतिनिधि 3. एन.जी.ओ. के प्रतिनिधि 4.पशुधन विशेषज्ञ एवं 5.चारा विशेषज्ञ शासन द्वारा नामित किये गए हैं।
3.	यू.एल.डी.बी. की अधिशासी कमेटी	हां	बोर्ड की नैतिक कार्यों में जन सहभागिता हेतु उपरोक्त में से 1.एन.जी.ओ. के प्रतिनिधि तथा 2.चारा विकास विशेषज्ञ को अधिशासी कमेटी में बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया है।

7.2 नीति के कार्यान्वयन हेतु

5.3 लोक प्राधिकरण द्वारा नीतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधियों से/की परामर्श/भागीदारी का प्राविधान ।

क्रमांक	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु की गई व्यवस्था
1.	चारा विकास हेतु सेन्टर आफ एक्सीनेन्स की स्थापना	हां	वन पंचायतों में सेन्टर आफ एक्सीनेन्स के कार्यान्वयन हेतु गठित समिति में सम्बन्धित वन पंचायत सरपंच अध्यक्ष नामित है. सम्बन्धित ग्राम प्रधान सदस्य नामित है तथा सम्बन्धित दुग्ध समिति (यदि हो)सदस्य नामित हैं
2.	नैसर्गिक अभिजनन हेतु सांड वितरण	हां	1.सांड क्रय हेतु गठित क्रय कमेटी में सम्बन्धित क्षेत्र/गांव का पशुपालक(जो सांड को पालेगा/रख रखाव करेगा)सदस्य के रूप में नामित है । 11.अनुपयुक्त हो गये सांडों को निस्तारित करने सम्बन्धी कमेटी में. 1. सम्बन्धित ग्रामसभा के प्रधान-अध्यक्ष 2.सम्बन्धित दुग्ध समिति (यदि हो)के अध्यक्ष-सदस्य तथा 3.सम्बन्धित क्षेत्र/गांव का पशुपालक (जो सांड का रख-रखाव करता था)सदस्य के रूप में नामित है ।
3.	एन.पी.सी.बी. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वरोजगारी ए.आई. कार्यकर्ता का प्रशिक्षण हेतु चयन	हां	जनपदीय चयन समिति में सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा दुग्ध समिति(यदि हो)के अध्यक्ष सदस्य के रूप में नामित है ।

मैनुअल-8
बोर्डों परिषदों समितियों एवं अन्य निकायों
का विवरण

**A statement of the Boards,
Councils, committees and other
bodies consisting of two or more
persons constituted as its part or
the purpose of its advise, and as
to whether meeting of those
boards- councils, committees
and other bodies are open to the
public, or the minutes of such
meetings are accessible for
public**

मैनुअल-8

विषय सूची

क्र०सं०	विवरण
8.1	उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड
8.2	पशुपालन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास विभाग
8.3	वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
8.4	उत्तरांचल राज्य पशुकल्याण बोर्ड

8.1 उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड

उद्देश्य: उत्तराखण्ड में भेड़ों की मृत्यु दर कम करने हेतु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम संचालन बीमारियों की रोकथाम, टीकाकरण तथा नस्ल सुधार कर भेड़पालकों द्वारा उत्पादित ऊन एवं अन्य उत्पाद का उचित मूल्य दिलाकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। नई तकनीक की जानकारी देकर भेड़ पालन व्यवसाय के प्रति जागरुक करना तथा उनके स्वयं सहायता समूह/संगठन/समितियां बनाने में सहयोग करना।

परिचय:

- ' स्थापना - अक्टूबर 2003
- ' मुख्यालय - देहरादून
- ' पंजीकरण संख्या - 1998 दिनांक 31-10-2003 (सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम सं01890 के अन्तर्गत)।

संचालित कार्यक्रम:-

- ' बोर्ड द्वारा 12 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, 01 अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, 05 अंगोरा शशक प्रजनन प्रक्षेत्र, 01 ऊन श्रेणीकरण/कय-विकय केन्द्र तथा 03 सचल बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों को पशुपालन विभाग के सहयोग से संचालित करना।
- ' चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम-भेड़ों में दवापान, दवास्नान, चिकित्सा, निकृष्ट मेढों में बधियाकरण तथा भेड़ों का टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करना।
- ' नस्ल सुधार कार्यक्रम-राज्य के प्रगतिशील भेड़पालकों को उनकी भेड़ों के नस्ल सुधार हेतु उन्नत प्रजनन हेतु मेढों का निःशुल्क वितरण।

उत्पादकता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत:-

- ' भेड़ों को ऊन कतरन से पूर्व नहलाये जाने हेतु भेड़पालकों को शिक्षित/जागरुक करना।
- ' ऊन ग्रेडिंग कार्यक्रम में भेड़ों से प्राप्त ऊन की प्राथमिक ग्रेडिंग का कार्य प्रारम्भ करना।
- ' मशीन द्वारा ऊन कतरने/काटने के लिए भेड़पालकों को शिक्षित एवं जागरुक करना।
- ' उत्पादित होने वाली ऊन के विपणन में भेड़पालकों को अपेक्षित सहायता एवं मार्ग दर्शन देना
- ' भेड़ पालकों को ग्राम स्तर पर भेड़ों से सम्बन्धित नवीनतम तकनीक की जानकारी देना, भेड़ों के प्रबन्धन, प्रमुख रोग एवं उनका निदान तथा मशीन द्वारा ऊन कतरन आदि विषयों पर भेड़पालकों प्रशिक्षित/जागरुक/शिक्षित करना।
- ' भेड़ पालकों के स्वयं सहायता समूह गठन तथा गैर राजकीय संस्थाओं के चयन/गठन में सहयोग करना।
- ' कालसी (देहरादून), मुनिकीरेती (टिहरी), डुण्डा (उत्तरकाशी), मुनस्यारी (पिथौरागढ़) ग्वालदम (चमोली) में पांच नये बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों की स्थापना कर उन्हें संचालित करना।

8.2 पशुपालन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास विभाग

उत्तराखण्ड शासन

संख्या 568/ए.म.दु.-उ.वि.यो./2003/2003

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड भेड एवं ऊन विकास बोर्ड को क्रियान्वित करने हेतु श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड भेड एवं ऊन विकास बोर्ड के निम्नवत गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

उत्तराखण्ड भेड एवं ऊन विकास बोर्ड का मुख्यालय देहरादून होगा ।

- | | |
|---|-----------------|
| 1. माननीय पशुपालन मंत्री जी उत्तराखण्ड | पदेन अध्यक्ष |
| 2. सचिव, पशुपालन उत्तराखण्ड शासन | पदेन उपाध्यक्ष |
| 3. अपर सचिव, पशु पालन, उत्तराखण्ड शासन | पदेन सचिव/सदस्य |
| 4- प्रमुख, सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन | पदेन सदस्य |
| 5- सचिव, उद्योग उत्तराखण्ड शासन | पदेन सदस्य |
| 6- मुख्य कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय भेड एवं ऊन विकास बोर्ड | |
| कपडा मंत्रालय भारत सरकार | पदेन सदस्य |
| 7- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग उत्तराखण्ड | पदेन सदस्य |
| 8- प्रबन्ध निदेशक, गढवाल विकास निगम, उत्तराखण्ड | पदेन सदस्य |
| 9. प्रबन्ध निदेशक, कुमायू मण्डल विकास निगम, उत्तराखण्ड | पदेन सदस्य |

(ओम प्रकाश)

सचिव

8.3 वन एवं ग्राम्य विकास शाखा

पशु पालन विभाग

उत्तराखण्ड शासन

संख्या 256/11/व.ग्रा.वि./प.पा.-यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी./773(2)/2004

देहरादून दिनांक 16 अप्रैल 2004

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश सं0568/प.मु.दु.-ऊ.वि.बो./03 दिनांक 29-10-03 शासनादेश सं056/11/ई.श्र.क्./प.पा./1050/यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी./2003 दिनांक 19.01.04 शासनादेश सं026/पशुपालन/04 दिनांक 19.02.04 एवं शासनादेश सं0 25/पशुपालन/04 दिनांक 19.02.04 के संदर्भ में यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी. की बैठक दिनांक 23.02.04 से हुये निर्णय के क्रम में श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड की गवर्निंग बौडी को निम्नवत पुर्नगठित करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं ।

1.माननीय पशुपालन मंत्रीजी उत्तराखण्ड सरकार(पदेन)	—	अध्यक्ष
2.श्री कीर्ति सिंह नेगी,नई टिहरी (टिहरी गढवाल)	—	कार्यकारी अध्यक्ष
3.डा0एस0पी0एस0रावत,स्यूसी(पौडी गढवाल)	—	उपाध्यक्ष
4.प्रमुख सचिव,वित्त उत्तराखण्ड शासन(पदेन)	—	सदस्य
5.सचिव,पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड शासन (पदेन)	—	सदस्य
6.सचिव,उद्योग उत्तराखण्ड शासन (पदेन)	—	सदस्य
7.सचिव,वन पर्यावरण एवं जलागम,उत्तराखण्ड शासन(पदेन)	—	सदस्य
8.कार्यकारी निदेशक,केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड,वस्त्र मंत्रालय,भारत सरकार (पदेन)अथवा उनके नामित प्रतिनिधि	—	सदस्य
9.अपर सचिव,पशुपालन,उत्तराखण्ड शासन (पदेन)	—	सदस्य
10.मुख्य कार्यपालक अधिकारी,खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तराखण्ड पदेन)	—	सदस्य
11.प्रबन्ध निदेशक,गढवाल मण्डल विकास निगम,देहरादून(पदेन)	—	सदस्य
12.प्रबन्ध निदेशक,कुमायू मण्डल विकास निगम,नैनीताल(पदेन)	—	सदस्य
13.निदेशक,केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्था अंबिकानगर राजस्थान पदेन अथवा उनके प्रतिनिधि	—	सदस्य
14-अर निदेशक पशु पालन (उत्तराखण्ड)पदेन	—	सदस्य
15-रक्षा कृषि अनुसंधान प्रयोगशाला(डी.ऐ.आर.एल),पिथौरागढ़ के प्रतिनिधि	—	पदेन सदस्य
16-मुख्य अधिशाषी अधिकारी,यू.एल.डी.बी.,देहरादून	—	पदेन सदस्य
17-निदेशक, हाईफेड, रानीचौरा, टिहरीगढवाल	—	सदस्य
18-उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी तथा चम्पावत जनपदों से एक-एक प्रगतिशील जिनका नामांकन अध्यक्ष की सहमति से यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी.द्वारा किया जायेगा	—	सदस्य
19-मुख्य अधिशाषी अधिकारी,यू.एल.डी.बी.,देहरादून	—	सदस्य/सचिव
2.यू.एस.डब्ल्यू.डी.बी.की उपरोक्त बैठक दिनांक 23.2.2004 के निर्णय संख्या -9 के अनुसार राज्यपाल, उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेप्लेमेन्ट बोर्ड की अधिशाषी कमेटी का पुर्नगठन निम्नवत किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:		
1-सचिव, पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड शासन-पदेन		अध्यक्ष
2-अपर सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन-पदेन		उपाध्यक्ष
3-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड-पदेन		सदस्य
4-मुख्य अधिशाषी अधिकारी,य.एल.डी.बी.-पदेन-		सदस्य
5-निदेशक, उधोग, उत्तरांचल अथवा उनके प्रतिनिधि-		सदस्य
6-प्रबन्ध निदेशक, गढवाल मण्डल, विकास निगम अथवा उनके प्रतिनिधि-		सदस्य
7-प्रबन्ध निदेशक, कुमायू मण्डल विकास निगम अथवा उनके प्रतिनिधि-		सदस्य
8-महाप्रबन्धक, खादी ग्रामो उधोग बोर्ड अथवा उनके प्रतिनिधि-		सदस्य
9-मुख्य अधिशाषी अधिकारी, य.एस.डब्ल्यू.डी.बी. पदेन-		सदस्य/सचिव

8.4 उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड

(Uttaranchal Animal Welfare Board)

1-स्थापना-

2004

2-मुख्यालय-

पशुपालन निदेशालय, मथोरोवाला, देहरादून

3-पंजीकरण संख्या-

दिनांक(सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत)

उद्देश्य:-

(1)उत्तराखण्ड राज्य के पशुओं के कल्याण एवं उन पर हो रहे अत्याचार को रोकने, पालतू पशुओं को अनुत्पादक होने पर लावारिस हालत में छोड़ने पर संरक्षण दिलाने, पालतू एवं अन्य जीवों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने तथा पशुओं की दशा सुधारने हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मा0सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निदेशन पर उत्तराखण्ड राज्य पशुकल्याण बोर्ड की स्थापना ।

(2)बोर्ड निगम निकाय होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकार होना एक सामान्य मुद्रा/मुहर होगी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की उसको शक्ति होगी । आवश्यकतानुसार अपने नाम से बाद चला सकता है या उसके नाम पर बाद चलाया जा सकता है ।

मुख्य कृत्य:-

(क)जीव जन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारण हेतु भारत में प्रवृत्त विधि का अध्ययन करता रहे और ऐसी किसी विधि में समय-समय पर किये जाने वाले संशोधनों की वावत राज्य सरकार को सलाह दें ।

(ख)जीव जन्तुओं को सामान्यतया या विशिष्टतया जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए परिवहन किये जा रहे हों या जब वे अभिनयकर्ता जीव जन्तु के रूप में प्रयुक्त किये जा रहे हों या जब वे बन्धन या प्रतिरोध में रखे गये हों तब अनावश्यक पीड़ा या यातना से बचाने की दृष्टि से इस नियम के अधीन नियम बनाने वावत राज्य सरकार को सलाह दें ।

(ग)भारवाही जीव जन्तुओं पर भार कम करने के लिए यानों के डिजाइनों में सुधार, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति को सलाह दें ।

(घ)शेडों, जलनादों और तद्रूप चीजों का सन्निर्माण प्रोत्साहित या उपबन्धित करने, जीव जन्तुओं के लिए पशु चिकित्सा सहायता उपबन्धित करने, पशुओं की बेहतरी के लिए उपाय करने हेतु जैसा बोर्ड ठीक समझे वैसा उपाय करें ।

(ङ)बधालयों की डिजायन या बधालयों को चलाने या जीव जन्तुओं के बध के संबन्ध में सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को सलाह दें । तांकि जहां तक सम्भव हो पशु को वध से पहले के कार्यक्रम में अनावश्यक शारीरिक या मानसिक पीड़ा न हो । जहां की जीव जन्तुओं को मार देना आवश्यक हो वहां यथा सम्भव मानवोचित रीति से किया जायें ।

(च)जब कभी अवांछनीय जीवन जन्तु को नष्ट किया जाना आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा या तो तुरन्त किया जाय तथा जीव जन्तु को अचेत करके किया जाय या जैसा बोर्ड उचित समझे वैसा उपाय करें ।

(छ)ऐसे "पिंजरापोलों" गचावगृहों, पशुआश्रमों,पशुवनों अन्य स्थानों जहां पशुपक्षी बूढ़े व बेकार हो जाने पर या जब उन्हें संरक्षण की आवश्यकता हो तब शरण पा सकें इस हेतु भवन आदि के निर्माण या स्थापना के लिए वित्तीय सहायता के रूप में अनुदान दें या अन्यथा प्रोत्साहित करें ।

(ज)जीव जन्तु को अनावश्यक पीड़ा या यातना से बचाने के लिए या जीव जन्तु तथा पक्षियों की संस्था क लिए स्थापित संस्थाओं या निकायों के साथ सहयोग एवं उनके कार्यों का समन्वय करें

(झ)स्थानीय क्षेत्रों में कार्यशील जीव जन्तु कल्याण संगठनों को वित्तीय या अन्य सहायता दें या किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे जीव जन्तु कल्याण संगठनों का बनाया जाना प्रोत्साहित करें । जो बोर्ड के साधारण पर्यवेक्षण एवं प्रदर्शन के अधीन कार्य करें ।

(ञ)जीव जन्तु अस्पतालों में जिस चिकित्सकीय देखरेख एवं सावधानी का उपबन्ध हो उससे सम्बन्धित विषयों पर सरकार को सलाह दें और जब कभी कोई आवश्यक समझे जीव अस्पतालों को वित्तीय या अन्य सहायता दें ।

(ट)जीव जन्तुओं के साथ मानवोचित वरताव करने के उद्देश्य से शिक्षा /प्रशिक्षण दें, जीव जन्तुओं को अभिवर्धन के पक्ष में भाषणों, पुस्तकों,पोस्टरों या चल चित्र प्रदर्शनों एवं उत्तरूप साधनों के द्वारा लोकमत या अन्य सहायता दें ।

(ठ)जीव जन्तु के कल्याण व अनावश्यक पीड़ा यातना देने के निवारण हेतु किसी भी विषय पर सरकार को सलाह दें ।

प्रारूप एवं वर्तमान सदस्य:

स्वरूप:उत्तराखण्ड सरकार का एक उपक्रम

वर्तमान सदस्य:-

(1)मा0मंत्री महोदय पशुधन एवं मत्स्य उत्तराखण्ड	प्रदेश अध्यक्ष
(2)राज्य सरकार द्वारा नामित (पशुकल्याण के आधार पर)	उपाध्यक्ष
(3)सचिव/अपर सचिव पशुधन एवं मत्स्य उत्तराखण्ड शासन	पदेन सचिव
(4)निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य
(5)मुख्य वन जीव संरक्षक उत्तराखण्ड	सदस्य
(6)गौशाला के 10 (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
(7)पांच पशुप्रेमी(राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
(8)समाज सेवी संस्थाओं के "दो"सदस्य जो पशुकल्याण का कार्यकर रहे(राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
(9)प्रमुख सचिव, गृह उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(10)निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तराखण्ड राज्य	सदस्य
(11)जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तराखण्ड का एक प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
(12)विधान सभा के दो मा0विधायक (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
(13)सेवा निवृत्त न्यायाधीश, न्यायिक सेवा/प्रशासनिक सेवा से जुड़े दो प्रतिनिधि(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नामित)	सदस्य

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की
धारा-4

17 मैनुअलों का संग्रह

भाग-4

मैनुअल संख्या 9 एवं 10

उत्तराखण्ड शासन

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग, नैनीताल।

भाग-4

हस्तपुस्तिका की सामाग्री

कं०सं०	विवरण
1	मैनुअल-9 अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका
2	मैनुअल-10 प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उनके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है

मैनुअल-9

अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका

**A directory of its officers and
employees**

मैनुअल-9 भाग-4

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण
9.1	अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमायूं मण्डल, नैनीताल में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका

9.1 अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका (माह मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार)

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतनमान	स्थाई पता
1	डा०के०के०जोशी	अपर निदेशक	118500-214100	ग्राम-गोरखपुर, पो० भीमताल जनपद नैनीताल
2	डा०जमन राम	परियोजना निदेशक	118500-214100	ग्राम-मल्ली बमौरी, मकान नं० 6, पो०आ०-भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी-नैनीताल
3	डा०मंजू असवाल	प०चि०अ०	56100-177500	ग्राम व पो० बलगड़ी, जनपद पिथौरागढ़
4	श्री चन्द्रशेखर जोशी	स०लेखाधि०	67700-208700	मार्शल कॉटेज, म०सं० 334, मल्लीताल, नैनीताल
5	श्री जगपाल सिंह	चारा विकास अधि०	56100-177500	ग्राम व पो० पुरबालियान, जनपद मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
6	श्रीके०सी०बेलवाल	मु०प्र०अ०,	56100-177500	ग्राम-बगडवार, पो०-कुलसीवी, जिला-अल्मोड़ा
7	श्री सी०के०दास	शी०य०यां०	47600-151100	शक्ति फार्म, नं०-5, उ०नगर
8	श्रीमती तारा सनवाल	व०प्र०अ०	47600-151100	ग्राम पूर्वीखेड़ा-गोलापार पो०ओ०-काठगोदाम जनपद नैनीताल
9	श्री गणेश दत्त जोशी	प्रधान सहायक	44900-142400	ग्राम मटेना (जोशीखोला) पो० गरुड़-बैजनाथ, बागेश्वर
10	गिरीश लाल	लेखाकार	47600-151100	ग्राम-काफलीखान, जनपद-अल्मोड़ा
11	श्रीमती सुनीता साह	प्र०स०	44900-142400	वेलड्राप कम्पारुण्ड, मल्लीताल, नैनीताल
12	श्री करनैल सिंह	प्र०स०	44900-142400	ग्राम भूरारानी, पो०ओ०-रुद्रपुर जनपद उ०नगर
13	श्रीमती गीता रौतेला	व०स०	35400-112400	वसुन्धरा कालोनी, तल्ली हल्द्वानी, जनपद नैनीताल
14	कु०गीता ढेला	व०स०	35400-112400	काठवाड़ी कोठी, मल्लीताल, नैनीताल
15	श्रीमती अलंकृता साह	व०स०	29200-92300	हरिप्रिया निवास भवाली, जनपद नैनीताल
16	श्री गुलशन सिंह बिष्ट	अपर सां०अधिकारी	44900-142400	118 राजीवनगर, पो०-कण्डोली-देहरादून
17	कु० ममता	सहा०सां०अधिकारी	35400-112400	ग्राम खडगोली (झलोड़ी) पो० खिरखेत (रानीखेत), अल्मोड़ा
18	श्री गोपाल गिरी	चालक	44900-142400	ग्राम-छटिया, पो०डंगोली, बागेश्वर
19	श्री अखिलेश बिष्ट	प्रयो०सहा०	29200-92300	ग्राम चुराड़ी, पो० भैंसोड़ी, जनपद अल्मोड़ा
20	श्री धीरेन्द्र खाती	क०स०	21700-69100	ग्राम भूड महोलिया, सुजिया रोड, पो०खटीमा, उ०सि०नगर
21	श्री जीतेन्द्र धर्मशक्तू	क०स०	21700-69100	ग्राम कठायतबाड़ा पो० बागेश्वर जनपद बागेश्वर
22	श्री अनूप बाल्मिकी	क०स०(अधि०)	21700-69100	मो०-गांधीनगर, पो०-सुल्तानपुरपट्टी-उ०नगर
23	श्री विजय कुमार टम्टा	क०स०(अधि०)	21700-69100	ग्राम चौखा (मसूराड़ी) पो० देवलथल, पिथौरागढ़
24	श्री एस०डी०तिवारी	क०स०	29200-92300	ग्राम-थापला, पो०-ताकुला, अल्मोड़ा
25	श्री हीरा सिंह बिष्ट	क०स०	29200-92300	ग्राम गोलखाल पो० तडागताल जनपद अल्मोड़ा
26	श्री पानदेव जोशी	वरि०अनु०	29200-92300	ग्राम-पिपलखण्ड, पो०उपराड़ी, अल्मोड़ा
27	श्री एम०सी०मिश्रा	अनु०	29200-92300	ग्राम-खांकर, पो०-बाडेछीना, अल्मोड़ा
28	श्री मोहन सिंह मेहता	अनु०	25500-81100	ग्राम व पो० सैंया राथी, जनपद पिथौरागढ़
29	श्री मोहन सिंह मेहरा	अनु०	25500-81100	ग्राम-सौलिया, पो०तल्लीताल, नैनीताल
30	श्री कृष्ण कुमार	अनु०	25500-81100	कुल्यालपुरा,, गलीनं-10, नवावीरोड, हल्द्वानी
31	श्री राजेन्द्र सिंह जलाल	अनु०	25500-81100	ग्राम-मल्लाधनियाकोट, नैनीताल
32	श्री अमित कुमार	स्वच्छक	18000-56900	बी०डी०पाण्डे कम्पाउण्ड, मल्लीताल, नैनीताल

मैनुअल-10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उनके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।

मैनुअल –10 भाग–4

विषय–सूची

क्र०स०	विवरण
10.1	अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, नैनीताल में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उनके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।

10.1 अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, नैनीताल 2016-17 (मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार)

क्र०सं०	अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	निर्धारण की पद्धति
1	डा० के०के०जोशी	अपर निदेशक	163253.00	गित्त हस्त पुस्तिका में दिये गये निर्देशों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार ।
2	डा०जमन राम	परियोजना निदेशक	167021.00	
3	डा०मंजू असवाल	प०चि०अ०	88752.00	
4	श्री चन्द्रशेखर जोशी	स०लेखाधि०	95658.00	
5	श्री जगपाल सिंह	चारा विकास अधि०	78732.00	
6	श्री के०सी०बेलवाल	मु०प्र०अ०	68952.00	
7	श्री गिरीश लाल	लेखाकार	60384.00	
8	श्री गुलशन सिंह बिष्ट	अपर सां०अधिकारी	46716.00	
9	कु० ममता	सहा० सां० अधिकारी	44268.00	
10	श्री सी०के०दास	शी०य०यां०	71680.00	
11	श्रीमती तारा सनवाल	व०प्रशा०अधि०	60718.00	
12	श्री करनैल सिंह	प्रधान सहायक	51314.00	
13	श्री गणेश दत्त जोशी	प्रधान सहायक	55420.00	
14	श्रीमती सुनीता साह	प्र०स०	52752.00	
15	श्रीमती गीता रौतेला	व०स०	46716.00	
16	कु०गीता ढेला	व०स०	46716.00	
17	श्रीमती अलंकृता साह	व०स०	33082.00	
18	श्री गोपाल गिरी	चालक	52552.00	
19	श्री अखिलेश बिष्ट	प्रयो०सहा०	32102.00	
20	श्री धीरेन्द्र खाती	क०स०	27404.00	
21	श्री जीतेन्द्र धर्मशक्तू	क०स०	27404.00	
22	श्री अनूप बाल्मिकी	क०स०(अधि०)	23834.00	
23	श्री विजय कुमार टम्टा	क०स०(अधि०)	26690.00	
24	श्री एस०डी०तिवारी	क०स०	39198.00	
25	श्री हीरा सिंह बिष्ट	क०स०	36058.00	
26	श्री पानदेव जोशी	वरि०अनु०	39510.00	
27	श्री एम०सी०मिश्रा	अनु०	39088.00	
28	श्री मोहन सिंह मेहता	अनु०	34158.00	
29	श्री मोहन सिंह मेहरा	अनु०	35076.00	
30	श्री कृष्ण कुमार	अनु०	34158.00	
31	श्री राजेन्द्र सिंह जलाल	अनु०	34158.00	
32	श्री अमित कुमार	स्वच्छक	26928.00	

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की
धारा-4

17 मैनुअलों का संग्रह

भाग-5

मैनुअल संख्या 11,12 एवं 13

उत्तराखण्ड शासन

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग, नैनीताल।

भाग-5

हस्तपुस्तिका की सामग्री

क्र०सं०	विवरण
1	मैनुअल-11 सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये समवितरणों पर रिपोर्टों के विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण का आवंटित बजट
2	मैनुअल-12 सहायिकीय कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।
3	मैनुअल-13 अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियां

मैनुअल-11

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितार्ण पर, रिपोर्ट की विशिष्टियां उपदर्शिता करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

मैनुअल-11

क्र०सं०	विवरण
11.1	पशुपालन विभाग की वार्षिक योजना 2013-14 परिव्यय एवं स्वीकृतियां
11.2	विभागीय विकास कार्यों की भौतिक प्रगति वर्ष 13-14
11.3	वित्तीय प्रगति
11.4	मण्डल के अधीन कार्यरत संस्थाओं का विवरण
11.5	स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त पदों का विवरण

सेक्टरवार वित्तीय प्रगति (वर्ष 2016-17)

पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

सेक्टर का नाम	क्र० सं०	योजना/कार्यक्रम का नाम	जनपद का नाम	अनुमो० पासन से अव०धन		जनपद स्तर से अव०धन०	कमिक व्यय	स्पेशल कम्प०प्लान			ट्राइबल सब प्लान		
								मात्राकृत धनराशि	प्राप्त आवंटन	कमिक व्यय	मात्राकृत धनराशि	प्राप्त आवंटन	कमिक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जिला सेक्टर योजना	1	पशु चिकित्सालयों/पशुसेवा केन्द्रों में अतिरिक्त दवा/वैक्सीन क्रय/शिविरों का आयोजन	नैनीताल	194.45	0.00	182.83	182.83	54.55	53.57	53.57	8.00	8.00	8.00
			उ०नगर	75.80	0.00	38.44	38.44	7.80	6.76	6.76	11.50	10.25	10.25
			अल्मोड़ा	89.30	0.00	51.24	50.14	32.93	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00
			बागेश्वर	117.20	0.00	67.37	67.37	31.64	19.56	19.56	1.34	1.34	1.34
			पिथौरागढ़	126.73	0.00	74.62	74.62	31.03	5.39	5.39	11.22	7.11	7.11
			चम्पावत	72.55	0.00	41.19	41.19	33.57	18.67	18.67	4.67	4.52	4.52
			योग	676.03	0.00	455.69	454.59	191.52	123.01	123.01	36.73	31.22	31.22
	2	पशु चिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण	नैनीताल	63.80	0.00	63.80	63.80	18.00	18.00	18.00	8.00	8.00	8.00
			उ०नगर	65.07	0.00	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			अल्मोड़ा	16.11	0.00	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			बागेश्वर	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			पिथौरागढ़	45.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			चम्पावत	24.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			योग	223.98	0.00	158.43	158.43	18.00	18.00	18.00	8.00	8.00	8.00
	3	वर्तमान कृ०ग०केन्द्रों का सुदृढिकरण एवं स्थापना	नैनीताल	21.90	0.00	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
			उ०नगर	17.43	0.00	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			अल्मोड़ा	18.89	0.00	10.74	10.74	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
			बागेश्वर	27.04	0.00	27.02	27.02	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00
			पिथौरागढ़	0.26	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			चम्पावत	22.56	0.00	22.49	22.49	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00

			योग	108.08	0.00	88.65	88.65	2.13	2.06	2.06	0.05	0.00	0.00
जिला सेक्टर योजना	4	ग्रामीण प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु प्रदर्शनियों का आयोजन	नैनीताल	2.80	0.00	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00
			उ०नगर	0.70	0.00	0.49	0.49	0.70	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00
			अल्मोड़ा	1.40	0.00	0.35	0.35	1.40	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00
			बागेश्वर	1.05	0.00	0.70	0.70	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00
			पिथौरागढ़	5.60	0.00	5.60	5.60	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00
			चम्पावत	1.40	0.00	1.40	1.40	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
			योग	12.95	0.00	9.94	9.94	7.35	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00
	5	चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण	नैनीताल	5.16	0.00	1.80	1.80	1.30	1.30	1.30	0.50	0.50	0.50
			उ०नगर	2.00	0.00	1.00	1.00	0.50	0.25	0.25	0.50	0.25	0.25
			अल्मोड़ा	2.00	0.00	1.50	1.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			बागेश्वर	2.30	0.00	2.30	2.30	0.55	0.55	0.55	0.35	0.35	0.35
			पिथौरागढ़	6.17	0.00	3.00	3.00	0.50	0.50	0.50	0.25	0.25	0.25
			चम्पावत	5.50	0.00	5.00	5.00	1.54	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
			योग	23.13	0.00	14.60	14.60	4.89	4.60	4.10	1.60	1.35	1.35
	6	पशुचिकित्सालयों की स्थापना	नैनीताल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			उ०नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			अल्मोड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			बागेश्वर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			पिथौरागढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			चम्पावत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	अनु०जातियों हेतु आई.ई.सी. के माध्यम से प्रचार प्रसार की योजना	नैनीताल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		उ०नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		अल्मोड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		बागेश्वर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		पिथौरागढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

जिला सेक्टर योजना

		चम्पावत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान योजनान्तर्गत कुक्कुट इकाई की स्थापना 1. कुक्कुट पालन	नैनीताल	31.50	0.00	10.50	10.50	31.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00
		उ०नगर	42.00	0.00	21.00	21.00	21.00	10.50	10.50	21.00	10.50	10.50
		अल्मोड़ा	35.70	0.00	21.40	21.40	35.70	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00
		बागेश्वर	63.00	0.00	36.11	36.11	59.85	35.70	35.70	3.15	0.41	0.41
		पिथौरागढ़	105.00	0.00	87.00	87.00	94.50	76.50	76.50	10.50	10.50	10.50
		चम्पावत	42.21	0.00	31.50	31.50	41.37	31.50	31.50	0.84	0.00	0.00
		योग	319.41	0.00	207.51	207.51	283.92	186.10	186.10	35.49	21.41	21.41
9	अनुसूचित जातियों हेतु मोवेलार्इजेशन मोटिवेशन प्रचार वर्कशाप प्रशिक्षण आदि	नैनीताल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उ०नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अल्मोड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		बागेश्वर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		पिथौरागढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		चम्पावत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	भेड़ों को परजीवी कीटाणुओं से बचाव हेतु सामूहिक औषधि	नैनीताल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उ०नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अल्मोड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		बागेश्वर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		पिथौरागढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		चम्पावत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	अंशदान पर चैफ कटर वितरण की योजना	नैनीताल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उ०नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अल्मोड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		बागेश्वर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		पिथौरागढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		चम्पावत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	दारिन्दा पद्धति पर निःशुल्क उन्नत बकरा सॉडो का वितरण	नैनीताल	0.80	0.00	0.40	0.40	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00
		उ०नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अल्मोड़ा	1.60	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		बागेश्वर	7.60	0.00	7.60	7.60	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00
		पिथौरागढ़	2.24	0.00	2.24	2.24	0.56	0.56	0.56	0.16	0.16	0.16
		चम्पावत	4.80	0.00	1.92	1.92	3.20	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00
		योग	17.04	0.00	12.16	12.16	6.16	3.44	3.44	0.16	0.16	0.16
13	पशुचिकित्सालय/पशुसेवा केन्द्रों की स्थापना (प्रस्तावित योजना)	नैनीताल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उ०नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अल्मोड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		बागेश्वर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		पिथौरागढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		चम्पावत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	प०चि० एवं प०से०के०की स्था० प्रस्तावित किड़ियारोग	नैनीताल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उ०नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अल्मोड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		बागेश्वर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		पिथौरागढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		चम्पावत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
महायोग जिला सेक्टर		नैनीताल	320.41	0.00	282.58	282.58	106.91	84.93	84.93	16.55	16.50	16.50
योजनाएं (अनुदान संख्या		उ०नगर	203.00	0.00	120.00	120.00	30.00	18.00	18.00	33.00	21.00	21.00
		अल्मोड़ा	165.00	0.00	101.34	100.24	71.35	41.33	40.83	0.00	0.00	0.00

07, 30, 31)		बागेश्वर	228.19	0.00	151.10	151.10	95.81	59.58	59.58	4.84	2.10	2.10
		पिथौरागढ़	291.00	0.00	177.46	177.46	129.46	85.75	85.75	22.13	18.02	18.02
		चम्पावत	173.02	0.00	114.50	114.50	80.44	53.71	53.71	5.51	4.52	4.52
		महायोग	1380.62	0.00	946.98	945.88	513.97	343.30	342.80	82.03	62.14	62.14
1	महिला बकरी पालन योजना	नैनीताल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उ०नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अल्मोड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		बागेश्वर	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		पिथौरागढ़	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		चम्पावत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग	0.00	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	स्पेशल कम्पो०/टाईबल सब प्लान के अन्तर्गत बकरी पालन योजना	नैनीताल	0.00	13.84	0.00	13.84	0.00	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00
		उ०नगर	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00
		अल्मोड़ा	0.00	5.66	0.00	5.66	0.00	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00
		बागेश्वर	0.00	11.96	0.00	11.96	0.00	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00
		पिथौरागढ़	0.00	5.67	0.00	5.67	0.00	3.78	3.78	0.00	1.89	1.89
		चम्पावत	0.00	3.78	0.00	3.78	0.00	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00
		योग	0.00	44.06	0.00	44.06	0.00	42.17	42.17	0.00	1.89	1.89
3	स्पेशल कम्पो०/टाईबल सब प्लान के अन्तर्गत भेड पालन योजना	नैनीताल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उ०नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अल्मोड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		बागेश्वर	0.00	5.04	0.00	5.04	0.00	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00
		पिथौरागढ़	0.00	3.78	0.00	3.78	0.00	3.15	3.15	0.00	0.63	0.63
		चम्पावत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग	0.00	8.82	0.00	8.82	0.00	8.19	8.19	0.00	0.63	0.63
4	स्पेशल कम्पो०/टाईबल सब प्लान के अन्तर्गत गौ पालन योजना	नैनीताल	0.00	32.04	0.00	32.04	0.00	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00
		उ०नगर	0.00	28.80	0.00	28.80	0.00	28.08	28.08	0.00	0.72	0.72
		अल्मोड़ा	0.00	14.76	0.00	14.76	0.00	14.76	3.24	0.00	0.00	0.00

राज्य सेक्टर योजना

राज्य सेक्टर योजना

		बागेश्वर	0.00	33.48	0.00	33.48	0.00	32.04	32.04	0.00	1.44	1.44
		पिथौरागढ़	0.00	20.52	0.00	20.52	0.00	10.80	10.80	0.00	9.72	9.72
		चम्पावत	0.00	11.88	0.00	11.88	0.00	11.16	11.16	0.00	0.72	0.72
		योग	0.00	141.48	0.00	141.48	0.00	128.88	117.36	0.00	12.60	12.60
5	पशुचिकित्सालयों पर शल्य चिकित्सा आदि की सुविधा (उपकरण क्रय)	नैनीताल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उ०नगर	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अल्मोड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		बागेश्वर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		पिथौरागढ़	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		चम्पावत	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6	पशुचिकित्सालय / प०से०के० का भवन निर्माण	नैनीताल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उ०नगर	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अल्मोड़ा	0.00			11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बागेश्वर	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पिथौरागढ़	0.00			10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चम्पावत	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	0.00			21.67	0.00	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना			नैनीताल	0.00	8.63	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		उ०नगर	0.00	8.48	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अल्मोड़ा	0.00	49.25	0.00	42.68	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00
		बागेश्वर	0.00	13.51	0.00	13.41	0.00	5.06	5.05	0.00	0.00	0.00
		पिथौरागढ़	0.00	7.43	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64	2.44
		चम्पावत	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग	0.00	88.21	0.00	75.66	0.00	5.64	5.63	0.00	4.64	2.44
		8	बद्री गाय के संरक्षण एवं संवर्धन पूंजीगत योजना	नैनीताल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उ०नगर	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	(नरियालगांव)	अल्मोड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		बागेश्वर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		पिथौरागढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		चम्पावत	0.00	181.50	0.00	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग	0.00	181.500	0.00	181.500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	बद्री गाय के संरक्षण एवं संवर्धन योजना राजस्व पक्ष (नरियालगांव)	नैनीताल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		उ०नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		अल्मोड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		बागेश्वर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		पिथौरागढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		चम्पावत	0.00	47.46	0.00	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		योग	0.00	47.460	0.00	47.460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	अहिल्याबाई होल्कर भेड़/बकरी विकास योजना	नैनीताल	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		उ०नगर	0.00	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		अल्मोड़ा	0.00	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		बागेश्वर	0.00	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		पिथौरागढ़	0.00	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		चम्पावत	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		योग	0.00	69.747	0.00	69.747	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	विकासखण्ड धारचूला एवं मुनस्यारी के पशुपालकों की आजीविका उत्थान योजना	नैनीताल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		उ०नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		अल्मोड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		बागेश्वर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		पिथौरागढ़	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		चम्पावत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		योग	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	गौ सदनों की स्थापना	नैनीताल	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

			उ०नगर	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			अल्मोड़ा	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			बागेश्वर	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			पिथौरागढ़	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			चम्पावत	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			योग	0.00	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग राज्य सेक्टर योजनाएं		नैनीताल	0.00	65.54	0.00	62.49	0.00	45.88	45.88	0.00	0.00
			उ०नगर	0.00	61.48	0.00	60.94	0.00	31.23	31.23	0.00	0.72
			अल्मोड़ा	0.00	92.41	0.00	85.84	0.00	21.00	9.48	0.00	0.00
			बागेश्वर	0.00	82.85	0.00	82.75	0.00	54.10	54.09	0.00	1.44
			पिथौरागढ़	0.00	151.88	0.00	149.59	0.00	17.73	17.73	0.00	16.88
			चम्पावत	0.00	257.16	0.00	257.16	0.00	14.94	14.94	0.00	0.72
			योग	0.00	711.32	0.00	698.77	0.00	184.88	173.35	0.00	19.76
केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं	1	1. एस्केड योजनान्तर्गत पशुरोगो पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (75 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना)	नैनीताल	0.00	16.45	0.00	16.45	0.00	1.02	1.02	0.00	0.00
			उ०नगर	0.00	18.83	0.00	18.83	0.00	0.92	0.92	0.00	0.00
			अल्मोड़ा	0.00	8.16	0.00	8.16	0.00	1.32	1.32	0.00	0.00
			बागेश्वर	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00
			पिथौरागढ़	0.00	8.88	0.00	8.88	0.00	1.02	1.02	0.00	0.00
			चम्पावत	0.00	7.37	0.00	7.37	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
			अ०नि० नैनी०	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
			योग	0.00	67.18	0.00	67.18	0.00	6.92	6.30	0.00	0.00
	2	NLM	नैनीताल	0.00	5.62	0.00	5.62	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
			उ०नगर	0.00	61.00	0.00	61.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00
			अल्मोड़ा	0.00	5.62	0.00	5.62	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
			बागेश्वर	0.00	5.58	0.00	5.58	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00

		पिथौरागढ़	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00
		चम्पावत	0.00	4.92	0.00	4.92	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00
		अ०नि० नैनी०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग	0.00	88.34	0.00	88.34	0.00	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00
3	पशुपालन सांख्यिकीय प्रकोष्ठ की स्थापना	नैनीताल	0.00	5.48	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उ०नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अल्मोड़ा	0.00	6.03	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		बागेश्वर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		पिथौरागढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		चम्पावत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अ०नि० नैनी०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग	0.00	11.51	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	पशुचिकित्सालय/औषधालय की स्थापना एवं सुदृढीकरण (75प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना)	नैनीताल	0.00	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उ०नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अल्मोड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		बागेश्वर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		पिथौरागढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		चम्पावत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अ०नि०नैनी०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग	0.00	17.500	0.00	17.500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	उत्तराखण्ड राज्य में आर०पी०/पी०पी०आर० रोग का उन्मूलन तथा	नैनीताल	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00
		उ०नगर	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00
		अल्मोड़ा	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00

	सर्विलेन्स कार्यक्रम (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित)	बागेश्वर	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00
		पिथौरागढ़	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00
		चम्पावत	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00
		अ०नि०खैनी०	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00
		योग	0.00	2.770	0.00	2.770	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00
6	पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (के०स०) (पी०पी०आर-सी०पी०)	नैनीताल	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00
		उ०नगर	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00
		अल्मोड़ा	0.00	1.59	0.00	1.59	0.00	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00
		बागेश्वर	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00
		पिथौरागढ़	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00
		चम्पावत	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00
		अ०नि० नैनी०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग	0.00	10.200	0.00	10.200	0.00	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00
7	चारा विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य को सहायता (अजोला)	नैनीताल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उ०नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अल्मोड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		बागेश्वर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		पिथौरागढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		चम्पावत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अ०नि० नैनी०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	चारा विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य को	नैनीताल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उ०नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9	सहायता (साईलेज)	अल्मोड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		बागेश्वर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		पिथौरागढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		चम्पावत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अ०नि० नैनी०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	चारा विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य को सहायता (पावर चैफ कटर)	नैनीताल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उ०नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अल्मोड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		बागेश्वर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		पिथौरागढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		चम्पावत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		अ०नि० नैनी०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
योग केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं	नैनीताल	0.000	46.320	0.000	46.030	0.000	2.070	2.070	0.000	0.000	0.000	0.000	
	उ०नगर	0.000	81.550	0.000	81.550	0.000	2.070	2.070	0.000	0.000	0.000	0.000	
	अल्मोड़ा	0.000	21.820	0.000	20.160	0.000	2.550	2.550	0.000	0.000	0.000	0.000	
	बागेश्वर	0.000	12.970	0.000	12.970	0.000	1.570	1.570	0.000	0.000	0.000	0.000	
	पिथौरागढ़	0.000	18.840	0.000	18.840	0.000	2.820	2.820	0.000	0.000	0.000	0.000	
	चम्पावत	0.000	14.190	0.000	14.190	0.000	1.800	1.180	0.000	0.000	0.000	0.000	
	अ०नि०नै०	0.000	1.810	0.000	1.810	0.000	1.590	1.590	0.000	0.000	0.000	0.000	
	योग	0.000	197.500	0.000	195.550	0.000	14.470	13.850	0.000	0.000	0.000	0.000	

आयोजनेत्तर योजनाओं का व्यय विवरण वर्ष 2016-17				
पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल				
अनुदान सं० 28				(धनराशि ₹ में)
क्र०सं०	आहरण वितरण अधिकारी	आवंटन	व्यय	समर्पण
1	अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल	19197000.000	19142000.000	55000.000
	योग अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल	19197000.000	19142000.000	55000.000
2	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, नैनीताल	18607000.000	17635000.000	972000.000
3	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, ओखलकाण्डा	6478000.000	5990559.000	487441.000
4	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, धारी	6760000.000	5937556.000	822444.000
5	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, रामगढ़	12235000.000	11980139.000	254861.000
6	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, हल्द्वानी	30378000.000	30157336.000	220664.000
7	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, बेतालघाट	12902000.000	12159589.000	742411.000
8	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, भीमताल	18425000.000	17445176.000	979824.000
9	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, कोटाबाग	9339000.000	8591241.000	747759.000
10	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, रामनगर	14388495.000	12548503.000	1839992.000
	योग जनपद नैनीताल	129512495.000	122445099.000	7067396.000
11	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उधमसिंहनगर	21119621.000	18289986.000	2829635.000
12	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, जसपुर	9802000.000	9774000.000	28000.000
13	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, काशीपुर	16217000.000	14502000.000	1715000.000
14	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, बाजपुर	19218000.000	16017000.000	3201000.000
15	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, गदरपुर	11585000.000	10202000.000	1383000.000
16	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, रूद्रपुर	13639000.000	11633000.000	2006000.000
17	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, किच्छा	10430000.000	9242000.000	1188000.000
18	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, सितारगंज	11670000.000	8480000.000	3190000.000
19	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, खटीमा	10510000.000	9277000.000	1233000.000
	योग जनपद उधमसिंहनगर	124190621.000	107416986.000	16773635.000
20	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा	23811000.000	22281000.000	1530000.000
21	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, हवालबाग	17287000.000	15414000.000	1873000.000
22	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, लमगड़ा	7316000.000	6498000.000	818000.000
23	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, धौलछीना	4359000.000	3691000.000	668000.000
24	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, ताकुला	10034000.000	9676000.000	358000.000

25	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, धौलादेवी	10159000.000	9540000.000	619000.000
26	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, रानीखेत	11220000.000	11218000.000	2000.000
27	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, द्वाराहाट	12138000.000	11399000.000	739000.000
28	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, चौखुटिया	8979000.000	8206000.000	773000.000
29	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, स्याल्दे	5747000.000	5279000.000	468000.000
30	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, भिकियासैण	5457000.000	4941000.000	516000.000
31	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, सल्ट	10160000.000	9487000.000	673000.000
	योग जनपद अल्मोड़ा	126667000.000	117630000.000	9037000.000
32	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, बागेश्वर	21187000.000	18595000.000	2592000.000
33	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, गरुड़	9256000.000	7895275.000	1360725.000
34	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, काण्डा	4442000.000	3136469.000	1305531.000
35	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, कपकोट	21363000.000	18627205.000	2735795.000
	योग जनपद बागेश्वर	56248000.000	48253949.000	7994051.000
36	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़	36873149.000	36873149.000	0.000
37	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, मूनाकोट	10065083.000	10065083.000	0.000
38	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, कनालीछीना	9734758.000	9734758.000	0.000
39	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, डीडीहाट	4237390.000	4237390.000	0.000
40	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, धारचूला	16307567.000	16307567.000	0.000
41	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, मुनस्यारी	14718524.000	14718524.000	0.000
42	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, थल	2653361.000	2653361.000	0.000
43	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, गंगोलीहाट	4025060.000	4025060.000	0.000
44	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, बेरीनाग	4976354.000	4976354.000	0.000
45	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, गणगाई गंगोली	1836739.000	1836739.000	0.000
	योग जनपद पिथौरागढ़	105427985.000	105427985.000	0.000
46	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, चम्पावत	24571000.000	19757680.000	4813320.000
47	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, चम्पावत	8675000.000	7866716.000	808284.000
48	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, टनकपुर	9180000.000	8281973.000	898027.000
49	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, लोहाघाट	7636000.000	6162294.000	1473706.000
50	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, पाटी	6905000.000	5127184.000	1777816.000
51	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, बाराकोट	7876000.000	6431869.000	1444131.000
	योग जनपद चम्पावत	64843000.000	53627716.000	11215284.000
	योग मण्डल	626086101.000	573943735.000	52142366.000

11.2 विभागीय विकास कार्यों की भौतिक प्रगति वर्ष 2016-17

जनपद-अल्मोड़ा / बागेश्वर / पिथौरागढ़ / चम्पावत / नैनीताल / उ०सि०नगर ।

क्रम संख्या	विवरण	लक्ष्य	पूर्ति
1.	पशुओ की चिकित्सा	2070000	2240368
2.	पशुओ का बधियाकरण	80000	80897
3.	पशुओ का टीकाकरण	2100000	1328179
4.	कुक्कुट पक्षी वितरण	1775000	2364600
5.	बड़े पशुओ का दवापान	83000	144993
6.	भेड़ो में दवास्नान	180000	237347
7.	पशुओ का कृत्रिम गर्भाधान(गाय/भैंस)	215000	156623
8	कृ०ग०से उत्पन्न संतति(गाय/भैंस)	90000	78751
9	भेड़ो मे दवापान	180000	261338
10	चारा बीज वितरण (कु०में)	—	785.71 कु०
11	चारा बीज मिनिक्विट्स वितरण (संख्या में)	—	5509

11.3 वित्तीय प्रगति वर्ष 2016-17

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल एवं
जनपद-नैनीताल / उ०नगर / अल्मोड़ा / बागेश्वर / पिथौरागढ़ / चम्पावत ।

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र०सं०	योजना का नाम	आवंटन	व्यय	व्यय प्रतिशत
1	जिला सेक्टर योजना	946.98	945.88	99.88
2	राज्य सेक्टर	711.32	698.77	98.23
3	केन्द्रपोषित योजना	197.500	195.550	99.01
महायोग :-		1855.8	1840.2	99.19

11.4 मण्डल के अंतर्गत कार्यरत संस्थाओं का विवरण—

क.सं0	संस्था का नाम	नैनीताल	उ0सि0नगर	अल्मोड़ा	बागेश्वर	पिथौरागढ़	चम्पावत	मण्डल का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पशु चिकित्सालय	28	22	37	10	31	13	141
2	सचल पशु चिकित्सालय	1	1	1	1	1	1	6
3	पशु सेवा केन्द्र	94	71	98	33	61	23	380
4	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	100	97	83	21	44	28	373
5	'द' श्रेणी औषधालय	2	2	1	1	—	—	6
6	भेड़ प्रक्षेत्र	—	—	—	2	2	—	4
7	कुक्कुट प्रक्षेत्र	—	1	1	—	1	—	3
8	सूकर प्रक्षेत्र	—	1	—	—	—	—	1
9	अंगोरा शशक प्रक्षेत्र	—	—	—	—	—	1	1
10	भेड़ एवं ऊन प्रसार /मेढा केंद्र	—	—	3	9	18	—	30
11	अश्व सांड केन्द्र	1	—	—	—	—	—	1
12	पशुप्रजनन प्रक्षेत्र	—	—	—	—	—	1	1
13	चारा अनुसंधान प्रक्षेत्र	—	—	1	—	—	—	1
14	बहुद्वेशीय सेवा केन्द्र	—	—	—	—	1	—	1
15	क्वारन टाईन केन्द्र	—	—	—	—	—	1	1
16	सघन कुक्कुट विकास प्रायोजना	1	—	1	—	1	—	3
17	कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला	—	1	—	—	—	—	1
18	मण्डलीय प्रयोगशाला	—	—	1	—	—	—	1
19	पशु शल्य चिकित्सा केन्द्र	—	1	—	—	1	1	3
20	ऊन शियरिंग एण्ड ग्रेडिंग सेन्टर	1	—	—	2	4	1	8

11.5 स्वीकृत/भरे/रिक्त पदों का विवरण(सारांश)

क्र०सं०	श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1	क	67	63	4	—
2	ख	141	102	39	—
3	ग	707	436	296	समूह ग में भरे 431 पदों में 18 पद क०सहायक (अधिसंख्यक— मृतक आश्रित) तथा 2 पद प्रयो०सहायक के पुर्नगठन उपरान्त स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत हैं एवं 05 कर्मचारी (शी०यं०यां०-01, विद्युतकार-01, प्लांट ऑपरेटर-03) पुर्नगठन से पूर्व में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत हैं, जो कि पुर्नगठन में मृत संवर्ग घोषित हैं।
4	घ	354	406	12	पुनर्गठन के पश्चात् स्वच्छक के 8 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 72 कार्मिक कार्यरत है इस प्रकार 64 कार्मिक अधिक कार्यरत हैं।
योग :-		1269	1007	351	18+2+1+3+1+64=89

मैनुअल-12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति
जिसमें
आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के
फायदा ग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हों

मैनुअल-12

विषय-सूची

क्र०सं०	विवरण
12.1	कार्यक्रमों के निष्पादन, रीति आवंटन धनराशि का विवरण
12.2	स्वरोजगार परख योजना वजट (वैक्यार्ड कुक्कुट पालन/बछिया पालन योजना)
12.3	स्वरोजगार परख योजना बजट (बकरी/पालन/गौ पालन योजना)
12.4	स्वरोजगार परख योजना बजट (अहिल्याबाई होल्कर योजनान्तर्गत बकरी/भेड़ पालन योजना)
12.5	महिला बकरी पालन योजना

12.1 सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।

कं. सं.	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति	अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वैक्यार्ड कुक्कटपालन योजना अल्मोड़ा/बागेश्वर में चलाई जा रही है। लाभार्थियों के चयन की निम्न प्रकार की प्रक्रिया है—
1	वैक्यार्ड कुक्कट पालन योजना	अ—ग्राम प्रधान— अध्यक्ष ब—ग्राम्य विकास अधिकारी सदस्य स—पशुधन प्रसार अधिकारी सदस्य सचिव योजना की आर्थिक नीति निम्न प्रकार है— 1—50/100 कायलर चूजे 12/—प्रति चूजे की दर से धनराशि रूपया 600/1200 2—चूजो को लाभार्थी के द्वार तक ढुलान रूपया 100/— 3—तार-बाड़ तैयार करने के लिए सहायता—रूपया—200/— 4—दो सप्ताह तक चूजा आहार रूपया 140/— 5—अन्य व्यय रूपया— 60/— योजनान्तर्गत एक ग्राम में 20 लाभार्थी चयनित किये जायेगें । प्रति लाभार्थी को 50 कायलर चूजे की यूनिट स्थापित की जायेगी । इस प्रकार पूरे उत्तराखण्ड राज्य में 990 वैक्यार्ड कुक्कट इकाईयां खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है
2	बछिया पालन योजना	इस योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन जनपद में दुग्ध मार्गों की दुग्धसमितियों के अनुसूचित जाति/जनजाति महिलाओं /पुरुषों में से की जावेगी । लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में सम्बन्धित क्षेत्र के पशु चिकित्साधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी की उपस्थिति में की जायेगी । योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रथम व्यात की कास ब्रीड बछिया लगभग 10 लीटर प्रतिदिन दुग्ध देने वाली उपलब्ध कराई जायेगी पशु हेतु समिति गठन निम्न प्रकार है— 1—सम्बन्धित क्षेत्र का पशु चिकित्साधिकारी 2—दुग्ध संघ का पशु चिकित्सक 3—सम्बन्धित विकास खण्ड का खण्ड विकास अधिकारी 4—जिला समाज कल्याण अधिकारी का प्रतिनिधि 5—लाभार्थी इस योजना के अन्तर्गत पशु क्रय हेतु निर्धारित राशि 15000/— रूपया निर्धारित की गई है रूपया 15000/—का 25 प्रतिशत रूपया 3750/— की धनराशि लाभार्थी से वसूल की जावेगी तथा शेष धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी ।
3	वैक्यार्ड कुक्कट पालन योजना में फायदा ग्राहियों के सम्बन्ध में ब्यौरे	1—सम्बन्धित जनपदों के अम्बेडकर व गांधी ग्राम 2—जनजाति विकास खण्डों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजातियों के चयनित अभ्यर्थी 3—उपरोक्त प्रत्येक ग्रामों में से 20 लाभार्थी चयनित किये जायेगें
4	बछिया पालन योजना के सम्बन्ध में फायदा ग्राहियों के ब्यौरे	फायदा ग्राहियों का चयन जनपद में दुग्ध संघ द्वारा संचालित दुग्ध मार्गों की दुग्ध समितियों के अनुसूचित जाति /जनजाति की महिलाओं /पुरुषों में से किया जायेगा
5	गौ एवं महिषवंशीय योजना	यह योजना को यू0एल0डी0बी0द्वारा विश्व बैंक की सहायता से उत्तराखण्ड के सभी जनपदों में चलाई जा रही है, इस योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा 10 वर्ष है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में पशुधन के प्रजनन एवं प्रबन्धन को नवीनतम तकनीकों द्वारा बढ़ावा देना है एवं पशुधन उत्पादों में वृद्धि करना है । लाभार्थियों की पात्रता ग्रामीण क्षेत्र का पशुपालन में रुचि रखने वाला होना चाहिए, महिला अभ्यर्थियों को इस कार्यक्रम में प्राथमिकता दी जाती है । यू.एल.डी.बी. की नीतियों के निर्धारण में सहभागिता हेतु दुग्ध संघों के प्रतिनिधि, गौशालाओं के प्रतिनिधि, एन.सी.ओ. के प्रतिनिधि पशुधन विशेषज्ञ, चारा विशेषज्ञ शासन द्वारा नामित किया जाता है ।
6	उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलेपमेन्ट	उत्तराखण्ड भेड़ पालकों को उनकी भेड़ों में प्रजनन हेतु भेड़ों का वितरण मण्डल में पशुपालन विभाग के भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों से किया जाना प्रस्तावित है । मेढ़ा वितरण हेतु लाभार्थियों की ब्लाक स्तर पर एक कमेटी गठित की गई है जिसमें ब्लाक के पशु चिकित्साधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी या नामित प्रतिनिधि व पशुधन प्रसार अधिकारी तथा ग्राम प्रधान सम्मिलित होंगे और चयनित सूची का अनुमोदन ब्लाक प्रमुख से कराया जायेगा ।

12.2 स्वरोजगार परख योजना बजट (बैक्यार्ड कुक्कुट पालन/बछिया पालन योजना)

वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जातियों/जनजातियों हेतु स्वरोजगार परख योजना के अन्तर्गत इन वर्गों के व्यक्तियों को कुक्कुट पालन इकाई/प्रति इकाई लागत रूपया 2100/- की स्थापना हेतु अनुदान के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्न तालिका के अनुसार व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

जनपद का नाम	बैक्यार्ड कुक्कुट पालन योजना (₹ 2100.00 प्रति इकाई)			
	स्पे.कम्पो.प्लान के अन्तर्गत		ट्राईबल सब प्लान	
	लाभार्थी संख्या	कुल धन. लाख में	लाभार्थी संख्या	कुल धन.लाख में
नैनीताल	500	10.50	—	—
उ०सि०नगर	500	10.50	500	10.50
अल्मोड़ा	1019	21.40	—	—
बागेश्वर	1700	35.70	20	0.41
पिथौरागढ़	3642	76.50	500	10.50
चम्पावत	1500	31.50	—	—
योग	8861	186.10	1020	21.41

12.3 स्वरोजगार परख योजना बजट (बकरी/पालन/गौ पालन योजना)

राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जातियों/जनजातियों हेतु स्वरोजगार परख योजना के अन्तर्गत इन वर्गों के लाभार्थियों को बकरी पालन इकाई प्रति इकाई लागत ₹0 63000.00 (10बकरी+1बकरा सांड), भेड़ पालन इकाई प्रति इकाई लागत ₹0 63000.00 (10भेड़+1मेढा) तथा गौपालन इकाई प्रति इकाई लागत ₹0 36000.00 (1 गाय) की स्थापना हेतु अनुदान के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्न तालिका के अनुसार व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

जनपद का नाम	बकरी पालन योजना प्रति इकाई लागत ₹0 63000.00 (10बकरी+1बकरा सांड)			
	स्पे.कम्पो.प्लान के अन्तर्गत		ट्राईबल सब प्लान	
	लाभार्थी संख्या	कुल धन. लाख में	लाभार्थी संख्या	कुल धन.लाख में
नैनीताल	22	13.84	—	—
उ०सि०नगर	5	3.15	—	—
अल्मोड़ा	9	5.66	—	—
बागेश्वर	19	11.96	—	—
पिथौरागढ़	6	3.78	3	1.89
चम्पावत	6	3.78	—	—
योग	67	42.17	3	1.89

जनपद का नाम	भेड़ पालन पालन योजना प्रति इकाई लागत रू0 63000.00 (10भेड़+1मेढा)			
	स्पे.कम्पो.प्लान के अन्तर्गत		ट्राईबल सब प्लान	
	लाभार्थी संख्या	कुल धन. लाख में	लाभार्थी संख्या	कुल धन.लाख में
नैनीताल	—	—	—	—
उ0सि0नगर	—	—	—	—
अल्मोड़ा	—	—	—	—
बागेश्वर	8	5.04	—	—
पिथौरागढ	5	3.15	1	0.63
चम्पावत	—	—	—	—
योग	13	8.19	1	0.63

जनपद का नाम	गौ पालन योजना (रू 36000.00 प्रति इकाई)			
	स्पे.कम्पो.प्लान के अन्तर्गत		ट्राईबल सब प्लान	
	लाभार्थी संख्या	कुल धन. लाख में	लाभार्थी संख्या	कुल धन.लाख में
नैनीताल	89	32.04	—	—
उ0सि0नगर	30	28.08	02	0.72
अल्मोड़ा	41	14.76	—	—
बागेश्वर	89	32.04	4	1.44
पिथौरागढ	30	10.80	27	9.72
चम्पावत	31	11.16	02	0.72
योग	310	128.88	35	12.60

12.4 स्वरोजगार परख योजना बजट (अहिल्याबाई होल्कर योजनान्तर्गत बकरी/भेड़ पालन योजना)

राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अहिल्याबाई होल्कर योजनान्तर्गत अन्तर्गत लाभार्थियों को बकरी/भेड़ पालन इकाई अनुदान रू0 91770.00 तथा पशुपालक अंश रू0 8000.00 प्रति इकाई लागत रू0 99770.00 स्थापना हेतु अनुदान के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्न तालिका के अनुसार लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

जनपद का नाम	बकरी/भेड़ पालन पालन योजना	
	बकरी/भेड़ पालन इकाई	
	लाभार्थी संख्या	कुल धन.लाख में
नैनीताल	8	7.34
उ0सि0नगर	14	12.85
अल्मोड़ा	12	11.01
बागेश्वर	11	10.10
पिथौरागढ़	23	21.11
चम्पावत	8	7.34
योग	76	69.75

नोट— 61 बकरी पालन इकाई
15 भेड़ पालन इकाई

12.5 महिला बकरी पालन योजना

राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 जनपद पिथौरागढ़/बागेश्वर के अन्तर्गत महिला बकरी पालन इकाईयों की स्थापना की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्न तालिका के अनुसार लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

जनपद का नाम	महिला बकरी पालन योजना	
	लाभार्थी संख्या	कुल धन.लाख में
नैनीताल	—	—
उ0सि0नगर	—	—
अल्मोड़ा	—	—
बागेश्वर	24	8.40
पिथौरागढ़	24	8.40
चम्पावत	—	—
योग	48	16.80

मैनुअल-13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियां

मैनुअल-13

विषय सूची

क्र०सं०	विवरण
13.1	बैक्यार्ड कुक्कुट पालन योजना
13.2	बछिया पालन योजना
13.3	उत्तराखण्ड लाइव स्टाक डेवलेपमेन्ट बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय गौ एवं महिषवंशीय परियोजना के अन्तर्गत निम्न लिखित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं
13.4	नैसर्गिक अभिजनन हेतु सांड वितरण
13.5	एन०पी०सी०वी०वी०योजनान्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम
13.6	फार्मस ओरियेन्टेशन एवं इनफर्टीलिटी कैम्प
13.7	उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलेपमेन्ट बोर्ड मेढों का वितरण

योजना का नाम	योजना का विवरण
13.1 बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना	जिसका व्यौरा मैनुअल नम्बर-12 में दिया गया है । 3- यह योजना स्पेशल/द्राइवल सब प्लान के अन्तर्गत कार्यरत है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों को कुक्कुट पालन द्वारा आय के अन्तः स्रोत उपलब्ध कराना, लाभार्थियों का चयन ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी द्वारा किया जाता है ।
13.2 बछिया पालन योजना	1- वर्ष 2004-05 में यह योजना लागू नहीं थी 2- वर्ष 2005-06 में बछिया पालन पर 75 प्रतिशत अनुदान 3- वर्ष 2007-08 से यह योजना लागू नहीं है तथा 25 प्रतिशत लाभार्थी अंश है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना एवं उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना है, लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी एवं पशुधन प्रसार अधिकारी द्वारा किया जाता है । लाभार्थियों को प्रथम व्यात की कास बेड बछिया प्रतिदिन 10 लीटर दूध देने वाली बछिया उपलब्ध करायी जाती है, बछियों का क्रय समीप के जनपदों से किया जाता है ।
13.3 उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय गौ एवं महिषवंशीय परियोजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रम 13.4 नैसर्गिक अभिजनन हेतु सांड वितरण 13.5 एन0पी0सी0वी0वी0 योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम 13.6 फार्मस ओरियन्टेशन एवं इनफर्टिलिटी कैम्प	बोर्ड द्वारा यह कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से 10 वर्षों की अवधि हेतु नवीनतम तकनीकी को बढ़ावा देने तथा पशुधन उत्पादों में वृद्धि करने हेतु उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा किया जा रहा है । पूर्ण विवरण संलग्न है । यह कार्यक्रम राज्य के 13 जनपदों में किया जा रहा है, इसका चयन मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जनपदीय प्रबन्धक यूएल0डी0बी0 तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ के प्रधान प्रबन्धक द्वारा किया जाता है ।
13.7 उत्तरांचल शीप एण्ड वूल डेवलपमेंट बोर्ड मैडों का वितरण	बोर्ड द्वारा भेड़ पालकों को मैडों का वितरण किया जाता है, जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी एवं पशुधन प्रसार अधिकारी की संस्तुति लेकर भेड़ पालकों को स्वयं सहायता समूहों हेतु मैडे वितरित किये जाते हैं । लाभार्थियों की सूची संलग्न है ।
13.8 गौपालन/भेड़पालन/बकरी पालन योजना	योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति के बी०पी०एल० परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु गौ पालन (एक दुधारू कासब्रीड गाय), भेड़ पालन इकाई (10+1) एवं बकरी पालन इकाई (10+1) जिसकी यूनिट लागत क्रमशः ₹ 36000.00, ₹ 63000.00 एवं ₹ 63000.00 के अनुदान की व्यवस्था है ।
13.9 राज्य सेक्टर योजना वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत संचालित अहिल्याबाई होल्कर भेड़/बकरी विकास योजना	भेड़/बकरी पालकों को प्रशिक्षण/कौशल वृद्धि विकास तथा उन्नत प्रजाति की भेड़/बकरी इकाइयों की स्थापना की जा रही है । लागत इकाई ₹ 99770.00, अनुदान ₹ 91770.00 लाभार्थी अंश ₹ 8000.00

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की
धारा-4
17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या-14,15,16,17

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग, नैनीताल

भाग-6

हस्तपुरस्तिका की सामग्री

क्रम सं०	विवरण
1.	मैनुअल-14 किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में व्यौरे,जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।
2.	मैनुअल-15 सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि उपयोग के लिए अनुरक्षित है,तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।
3.	मैनुअल-16 लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां
4.	मैनुअल-17 ऐसी अन्य सूचनाए जो विहित की जाए।

मैनुअल-14

किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध
में ब्यौरे,
जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा
धारित हो।

मैनुअल-14

विषय सूची

क्रम संख्या	विवरण
14.1	इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में व्यौरे
14.2	सूचना अधिकारियों की सूची एवं कार्यालय फोन नं०

14.1 इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में व्यौरे

क्रम संख्या	संगठन का नाम	सूचना का विवरण
1.	इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में व्यौरे	<p>रइलैक्ट्रॉनिक के रूप में अधिकार अधिनियम 2005 धारा 4(1)के अन्तर्गत निम्न सूचना के व्यौरे है,जो उसमें उपलब्ध होगी।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संगठन की विशिष्टियां कृत्य और कर्तव्य 2. अधिकारियों कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य 3. विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया एवं पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व 4. कर्तव्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक 5. दस्तावेजों का विवरण जो नियंत्रणाधीन है। 6. व्यवस्था की विशिष्टियां बोर्डों परिषदों का विवरण। 7. अधिकारियों कर्मचारियों की निर्देशिका 8. प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक 9. सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये समविताणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां 10. सहायकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति एवं फायदाग्राहियों के व्यौरे 11. अनुदत्त/रियायतों के प्राप्त कर्ताओं की विशिष्टियां 12. लोक सूचना अधिकारियों के नाम 13. कर्तव्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग में लिये गये नियम, विनियम, निर्देशिका तथा विशेष जानकारी, लोक सूचना अधिकारी के पास मैनुअलों में धारित रहेंगी। जिसके व्यौरे मैनुअल भाग-2/5,1,2,3,4 में उपलब्ध रहेंगी।

14.2 पशुपालन विभाग के लोक सूचना अधिकारियों की सूची एवं बैबसाइट/ई0मेल

क्रम सं०	लोक सूचना अधिकारियों के पते	लोक सूचना अधिकारियों के कार्यालय फोन नं०	ई0मेल आई0डी0
1.	अपर निदेशक, पशु पालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल	05942-236204	adahntl@yahoo.in
2.	परियोजना निदेशक, पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, नरियालगांव (चम्पावत)	-	-
3.	रोग अनुसंधान अधिकारी, लैब, रुद्रपुर (उ०सि०नगर)	-	jdpathlab@gmail.com
4.	मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल	05942-247367	cvonainital@gmail.com
5.	मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०सि०नगर	05944-250264	cvousn@gmail.com
6.	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा	05962-232289	cvoalm@gmail.com
7.	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर	05963-221475	cvobageshwar@gmail.com
8.	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़	05964-225319	cvopithoragarh@gmail.com
9.	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत	05965-230843	cvo.champawat@rediffmail.com

मैनुअल 15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष यदि लोक उपयोग के लिए सुरक्षित है, तो कार्यकरण घण्टे सम्मलित है।

मैनुअल-15

विषय सूची

क्रम संख्या	विवरण
15.1	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां

15.1 सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां

1. सूचना अधिकारी अधिनियम	1.सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत पशु पालन विभाग में निम्न सुविधा उपलब्ध की गयी है।
	<p>अ.) निदेशालय स्तर पर निदेशक, पशु पालन लोक सूचना अधिकारी</p> <p>ब.)मण्डल स्तर पर उप निदेशक लोक सूचना अधिकारी</p> <p>स.) जिला स्तर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी लोक सस</p> <p>द.)ब्लाक स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारी</p> <p>थ) ग्राम तसपंचायत स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी पशुधन प्रसार अधिकारी</p> <p>सभी लोक सूचना एवं सहायक लोक सूचना अधिकारियों के पास जनता को सूचना उपलब्ध करने के लिए 16 मैनुअल उपलब्ध होंगे तथा सूचना लेने के लिए रसीदबही भी उपलब्ध होगी ।</p> <p>2. सूचना प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर ई0 मेल की सुविधा भी उपलब्ध है ।</p> <p>3. पशु पालन विभाग के समस्त सूचनाएं एन0आई0सी0 की बैबसाइट www.ua.nic.in पर भी उपलब्ध होगी।</p>
2. पुस्तकालय वाचन कक्ष की सुविधा	कार्यालय के कार्य दिवश में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे के मध्य सूचना प्राप्तकर्ता मैनुअलों की हस्तपुस्तिका का अवलोकन करके नियमानुसार सूचना प्राप्त कर सकता है। पुस्तकालय एवं वाचन कक्ष आदि की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

मैनुअल-16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और
अन्य विशिष्टियां

**The names. designations and
other particulars of
the Public Information Officers.**

मैनुअल-16

विषय सूची

क्रम0सं0	विवरण
16.1	निदेशालय के अन्तर्गत लोक सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारियों का विवरण

16.1 निदेशालय के अन्तर्गत लोक सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारियों का विवरण

शासकीय स्तर	लोक सूचना अधिकारी पदनाम	विभागीय अपील अधिकारी कार्यालय का पूर्ण पता	टेलीफोन नम्बर/ इमेल	पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेलीफोन नं०/ इमेल
	मुख्य अधिशासी अधिकारी	उत्तराखण्ड लाइव स्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड 233/1 बसन्तविहार देहरादून	0135-2761735 2764411	सचिव पशुपालन	सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन देहरादून	0135-2711718
	मुख्य अधिशासी अधिकारी	उत्तराखण्ड भेड एवं ऊन विकास बोर्ड, शास्त्रीनगर देहरादून	0135-2666046 2666045	सचिव पशुपालन	सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन देहरादून	0135/2711718
	सचिव पशु कल्याण बोर्ड	उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड 12 डिस्पेन्सरी रोड देहरादून	0135/2452052	सचिव पशुपालन	सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन देहरादून	0135/2711718

मैनुअल-17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये

मैनुअल-17

विषय सूची

क्र०सं०	विवरण
17.1	पशुओं के प्रमुख संक्रामक रोग लक्षण और बचाव
17.2	नागरिक अधिकार पत्र
17.3	पशु सम्पदा वर्ष 2003 की पशुगणना के अनुसार
17.4	कार्यरत विभागीय संस्थाएं
17.5	पशुपालन कार्यो का माहवार कलैण्डर
17.6	अधिकारियों की निजी सम्पत्ति का विवरण

17.1 पशुओं के प्रमुख संक्रामक रोग लक्षण और बचाव

यह रोग जो बैक्टीरिया, वाइरस तथा प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं, संक्रामक रोगों द्वारा दुधारु पशुओं में शारीरिक एवं आर्थिक हानि हुआ करती है ।

1. खुरपका मुंहपका रोग (Foot & Mouth Disease)

यह एक भयानक संक्रामक वाइरस जनित रोग है । रोग में तेज बुखार आता है जो 104 F Dig-पहुंचता है। मुह से लार टपकती है, खुर से घाव हो जाने पर पशु एक स्थान पर खड़ा नहीं रह पाता है। लंगड़ाकर चलता है, घाव में कीड़े पड़ जाते हैं, पशु खाना पीना छोड़ देता है, दूध के उत्पादन में कमी आ जाती है।

बचाव: इसका टीकाकरण पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा रियायती दर पर किया जाता है, यह टीका कार्य आरम्भ होने से पहले मई-जून में लगवा लेना चाहिए, यह टीका लगवाकर महामारी से बचा जा सकता है। यदि विमारी हो जाये तो बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए ।

2. पोकनी रोग: (RINDERPEST)

यह भी वाइरस जनित भयानक रोग है, इससे काफी पशुओं की मृत्यु हो जाती है, बीमारी में बुखार 105 से 107 तक आता है । दस्त आते हैं, मुह जीभ तक अंतों में छाले पड़ जाते हैं। पशु कमजोर हो जाता है। आंखे बँठ जाती हैं। नाक आंख तथा मुह से पानी गिरने लगता है। पशु कमजोर होकर लडखड़ाकर गिर जाता है और मर जाता है।

बचाव: स्वस्थ पशुओं में रोग ऐसे बचाव के लिए टीका लगवा लेना आवश्यक है । यह टीका अक्टूबर/नवम्बर में लगाया जाता है । इससे जी.टी.बी. तथा लेपिनाइज्ड वैक्सीन मुख्य है । आजकल रिण्डरपेस्ट उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है इस हेतु आर.पी. खोज कार्य जारी है इसलिए टीकाकरण का कार्य नहीं कराया जा रहा है ।

3. रमाता रोग (COWPOX)

यह विषाणु जनित रोग है इसमें अयन एवं थनों में छाले पड़ जाते हैं । बाद में घाव बन जाते हैं । जिससे थनेला रोग होने का भय उत्पन्न हो जाता है ।

बचाव: बीमार पशु को अलग रखना चाहिए तथा घाव में एन्टीसेप्टिक मलहम लगाना चाहिए ।

4. रैबीज (RABIES)

यह रोग पागल कुत्ते, सियार के काटने से होता है। यह रोग वाइरस जनित है। प्रमुख लक्षणों में पशु का उग्र होना, मुंह से लार टपकना, रोगी पशु कंकड़ तथा मिट्टी को पकड़ कर चबाने का प्रयास करता है। अंत में लकवा मार जाता है और पशु की मृत्यु हो जाती है। बीमार पशु की लार लगने से मनुष्य में यह रोग फैल जाता है।

बचाव: पशु के घाव को कार्बोलिक एसिड साबुन द्वारा साफ करना चाहिए। उसके बाद एन्टीरेबीज का टीका लगवाना चाहिए क्योंकि लक्षण पैदा होने पर उपचार सम्भव हो जाता है । यह टीका राजकीय पशु चिकित्सालय द्वारा निशुल्क लगाया जाता है ।

5. गलाघोटू (HAMORRAGIC SEPTICEMIA)

यह जीवाणु जनित रोग है । यह पास्टुरेल्ला जीवाणु द्वारा होता है। यह रोग में 104 F 106 F तक बुखार आता है । गले में सूजन आती है। सांस लेने में कठिनाई होती है। उपचार न कराने पर पशु 24 घंटे में मर जाता है। यह रोग आमतौर पर बरसात में होता है । पर वर्ष में कभी भी हो सकता है।

बचाव: रोग की रोकथाम के लिए पशुओं को प्रतिवर्ष मई-जून माह में टीका लगवा लेना चाहिए । रोग हो जाने पर पशु को अलग रखना चाहिए तथा उपचार करायें।

6. लंगडिया बुखार (BLACK QUARTER)

यह भी जीवाणु जनित रोग है । यह क्लोस्ट्रीडियम शोबिमापी द्वारा फैलता है मुख्यतः यह रोग 6 महिने से 2 वर्ष की आयु के पशुओं में होता है । प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार आना, पैर में सूजन आना और सूजन में गैस का भरना है, सूजन के दबाने से चरचराहट की आवाज आती है ।

बचाव: रोग की रोकथाम के लिए पशुओं में अगस्त-सितम्बर में टीका लगाना चाहिए। बीमार पशु को एन्टी ब्लैक क्वार्टर सीरम लगवाना चाहिए । मरे पशु को जमीन में गाड़ दते हैं । जिससे संक्रमण न हो सके ।

7. बाहरी बुखार (ANTHRAX)

यह रोग वैसिलस-एन्थेसिस नामक जीवाणु से होता है । इस रोग के प्रमुख लक्षणों में 105 F 108F तक तेज बुखार आता है । तिल्ली बढ जाती है । तथा खून का रंग काला हो जाता है । नथुनो से खून निकलता है । अंततः 24-48 घंटे में मृत्यु हो जाती है । रोग संक्रमण द्वारा मनुष्यों में भी फैल,जाता है । यह (oonotic) रोग है ।

बचाव- रोग के बचाव के लिए स्वस्थ पशुओं में अगस्त माह में एन्थेक्स का टीका लगवाना चाहिए। मरे हुए पशु की खाल नहीं निकालनी चाहिए और शव को गहरे गढ्ढे में चूना डालकर दबा देना चाहिए।

8. संक्रामक गर्भपात: (Contagious Abortion)

यह जीवाणु जनित रोग हैजो बुरोल्ला एर्बोटरा से होता है। प्रमुख लक्षणों में गर्भपात जेर का रुकना बांझपन तथा गेटराइटिस है ।यह रोग मनुष्यों में संक्रमण द्वारा फैल जाता है । जिसे अनडुलेन्ट फिवर कहते है ।

बचाव: इस रोग से बचाव के लिए बीमार पशु को अलग रखना चाहिए। पशु के सीरम की जांच से रोग का पता चलता है। बच्चों में काटन स्टेनास-19 नामक टीका लगवाना चाहिए।

9. क्षय रोग: (TUBERCULOSIS)

यह रोग माइक्रोनैक्टैरियम-ट्यूबरकुलोसिस नाम के जीवाणु से होता है। शरीर में गांठे पडू जाती है। दुधारु पशुओं में लक्षण फेफडो में दिखाई देते है। बीमार पशु का ट्यूमर कुलीन परीक्षण कराना चाहिए,रोग से बचाव के लिए बी.सी.जी. का टीका लगवाये।

10. जोहनीज रोग: (JOHNEYS DISEASE)

यह रोग माइक्रोवैक्टीरियम पेराट्यूबरकुलोसिस नाम के जीवाणु से होता है। प्रमुख लक्षण तीसरे से छठे वर्ष की उम्र में दिखाई पडूते है। पशु कमजोर हो जाता है त्वचा सूख जाती है, प्यास बढ जाती है। दस्त पतले तथा बढबूदार हो जाते है। साथ में म्यूकस तथा गैस निकलती है ।

रोग की रोकथाम के लिए वैक्सीन-वैक्सीन एक माह तक के बछडो में लगवाना चाहिए ।

इन समस्त रोगों के लक्षण उत्पन्न होने पर पशु चिकित्सक की सलाह से उपचार कराये जिससे पशुपालन शासन द्वारा उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाकर हानि से बच सके ।

17.2 नागरिक अधिकार-पत्र

पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना वर्ष 1944 में की गयी । इससे पूर्व सिविल वैटनरी डिपार्टमेन्ट एवं कृषि विभाग द्वारा ही पशुपालन सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जाते थे। उस समय पशुपालन विभाग मुख्यतः पशु रोग नियंत्रण एवं अश्व प्रजनन का कार्य करता था । बाद में पशु पालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना होने पर पशु पालन का सर्वांगीण विकास करने हेतु पशु चिकित्सा एवं रोग नियंत्रण के साथ पशुधन विकास प्रजनन एवं चारा विकास आदि कार्यक्रम भी आरम्भ किये गये । वर्तमान में पशुपालन विभाग ग्राम्य विकास से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विभाग है जो किसानों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु संकल्पित है ।

उद्देश्य-

पशुधन विभाग का प्रमुख उद्देश्य पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुओं के सम्भावित रोगों के बचाव हेतु टीकाकरण, रोगग्रस्त पशुओं की सामयिक चिकित्सा उपलब्ध कराना, दुग्ध, अण्डा, मांस एवं ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना कृत्रिम गर्भाधान/नैसर्गिक अभिजनन के माध्यम से स्वदेशी नस्लों का सुधार, स्वदेशी प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन, विदेशी नस्लों की प्रजातियों का प्रसार तथा उन्नतिशील प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने एवं पशुपालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा आदि उपलब्ध कराना है ।

इसके अतिरिक्त रोजगार सृजन से सम्बन्धित कार्यक्रमों का विस्तार ग्रामीण अंचलों में पिछड़े एवं निर्वल वर्ग के लोगों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु निम्न उद्देश्यपरक विभिन्न योजनायें व कार्यक्रम कियान्वित किये जा रहे हैं।

1. समन्वित पशु स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमों के द्वारा पशुधन को स्वस्थ रखना तथा उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग ।
2. विभागीय एवं वैज्ञानिक नीतियों से विभिन्न पशुधन की प्रजनन व उत्पादन क्षमता में बढोत्तरी पशुधन प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन करना ।
3. पशुधन हेतु पर्याप्त चारा एवं पोषण की व्यवस्था करना तथा उन्नत प्रबन्धन विधियों का प्रचार प्रसार करना ।
4. ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों को गांवों में ही स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर उनका सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन तथा उद्यमिता विकास और उसमें व्यवसायिक विविधिकरण हेतु चेतना जागृत करना ।
5. गौर नस्ल/गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखना ।
6. प्रदेश में विभिन्न पशुधन उत्पादों की क्षमता में वृद्धि कर दूध, ऊन, अण्डा, व मांस आदि का उत्पादन बढाना तथा पशुपालकों को उनके पशुधन उत्पादों का समुचित मूल्य उपलब्ध कराना ।
7. सन्वित पशु स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमों के द्वारा पशुधन का स्वस्थ रखना तथा उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग ।

7.3 पशु सम्पदा:-

19 वीं पशुगणना 2012 के जनपदवार आंकड़े

क्र० सं०	जनपद का नाम	विदेशी / कास ब्रीड गोवंशीय	स्वदेशी गोवंशीय	कुल गोवंशीय	महिषवंशीय	याक	मिथुन	कुल गोवंशीय, महिषवंशीय, याक तथा मिथुन	भेड	बकरी	सूकर	घोडे एवं टट्टू	खच्चर	गधा	कुत्ते	ऊँट	खरगोश	हाथी	कुक्कुट	आवारा गोवंशीय	आवारा कुत्ते
1	पिथौरागढ़	44591	157513	202104	50996	32	0	253132	47336	201240	230	1417	2750	52	18806	0	1210	0	40798	1060	1842
2	बागेश्वर	6456	94951	101407	35378	0	0	136785	17635	107050	69	190	1959	0	9323	0	40	0	25926	239	489
3	अल्मोडा	23191	174135	197326	96662	0	0	293988	3732	189184	1035	909	1552	112	15757	0	268	0	106046	2270	2348
4	चम्पावत	22230	69329	91559	23132	0	0	114691	8	50919	299	413	704	0	10625	0	409	0	79813	550	956
5	नैनीताल	58612	115982	174594	89681	0	0	264275	293	69763	962	2506	1465	149	35424	0	335	7	594263	974	4317
6	ऊधमसिंह नगर	87072	51657	138729	165053	0	0	303782	1925	42958	1721	1545	144	82	29289	0	782	0	3063001	840	7844
योग कुमाऊ मण्डल		242152	663567	905719	460902	32	0	1366653	70929	661114	4316	6980	8574	395	119224	0	3044	7	3909847	5933	17796

17.4 कार्यरत विभागीय संस्थायें:-

क.सं0	संस्था का नाम	नैनीताल	उ0सि0नगर	अल्मोड़ा	बागेश्वर	पिथौरागढ़	चम्पावत	मण्डल का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पशु चिकित्सालय	28	22	37	10	31	13	141
2	सचल पशु चिकित्सालय	1	1	1	1	1	1	6
3	पशु सेवा केन्द्र	94	71	98	33	61	23	380
4	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	100	97	83	21	44	28	373
5	'द' श्रेणी औषधालय	2	2	1	1	—	—	6
6	भेड़ प्रक्षेत्र	—	—	—	2	2	—	4
7	कुक्कुट प्रक्षेत्र	—	1	1	—	1	—	3
8	सूकर प्रक्षेत्र	—	1	—	—	—	—	1
9	अंगोरा शशक प्रक्षेत्र	—	—	—	—	—	1	1
10	भेड़ एवं ऊन प्रसार / मेढा केंद्र	—	—	3	9	18	—	30
11	अश्व सांड केन्द्र	1	—	—	—	—	—	1
12	पशुप्रजनन प्रक्षेत्र	—	—	—	—	—	1	1
13	चारा अनुसंधान प्रक्षेत्र	—	—	1	—	—	—	1
14	बहुदेशीय सेवा केन्द्र	—	—	—	—	1	—	1
15	क्वारन टाईन केन्द्र	—	—	—	—	—	1	1
16	सघन कुक्कुट विकास प्रायोजना	1	—	1	—	1	—	3
17	कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला	—	1	—	—	—	—	1
18	मण्डलीय प्रयोगशाला	—	—	1	—	—	—	1
19	पशु शल्य चिकित्सा केन्द्र	—	1	—	—	1	1	3
20	ऊन शियरिंग एण्ड ग्रेडिंग सेन्टर	1	—	—	2	4	1	8

17.5 पशुपालन कार्यों का माहवार कलेण्डर

1. (अप्रैल)चैत्र

1. खुरपका मुंहपका रोग से बचाव का टीका लगवायें ।
2. जायद के हरे चारे की बुवाई करें, बरसीम चारा बीज उत्पाद हेतु कटाई कार्य करें ।
3. अधिक आय के लिये स्वच्छ दुग्ध उत्पादन करें।

2.(मई)बैसाख—

- 1.गलाघोटू तथा लंगडिया बुखार का टीका सभी पशुओं में लगवायें ।
- 2.पशुओं को हरा चारा पर्याप्त मात्रा में खिलायें ।
- 3.पशु को स्वच्छ पानी पिलावायें ।
4. पशु को सुबह एवं सांय नहलवायें ।
5. पशु को लू एवं गर्भी से बचाने की व्यवस्था करें ।
6. परजीवी का पशुओं में उपचार करायें ।
7. बांझपन की चिकित्सा करवाये तथा गर्भ परीक्षण करायें ।
8. पशुओं को नमक का सेवन करायें ।

3.(जून)जेठ:—

1. गलाघोटू तथा लंगडिया बुखार का टीका अवशेष पशुओं में लगवायें ।
2. पशु को लू से बचायें ।
3. हरा चारा पर्याप्त मात्रा में दे ।
4. परजीवी की दवा पशुओं को पिलायें ।
5. खरीफ के चारे मक्का लोविया के लिए खेत की तैयारी करें ।
6. बांझ पशुओं का उपचार करायें ।
7. सूखे खेत की चरी न खिलायें। अन्यथा जहर फैलने का डर रहेगा ।

4.(जुलाई) आषाढ:—

1. गलाघोटू तथा लंगडिया बुखार का टीका शेष पशुओं में लगवायें ।
2. खरीफ चारा की बुवाई करें तथा जानकारी प्राप्त करें ।
3. पशुओं को अन्तः कृमि की दवापान करायें ।
4. वर्षा ऋतु में पशुओं के रहने की उचित व्यवस्था करें ।
5. पशु दुहान के समय खान को चारा डाल दें ।
6. पशुओं को सखडिया का सेवन करायें ।
7. कृत्रिम गर्भाधान करायें ।

5.(अगस्त)सावन

1. नये आये पशुओं तथा अवशेष पशुओं में गलाघोटू तथा लंगडिया बुखार का टीकाकरण करवाये ।
2. लिवर फ्लूक के लिए दवापान करायें ।
3. गर्भित पशुओं की उचित देखभाल करें ।
4. व्याये पशुओं को अजवाइन, सोठ खिलायें तथा देख ले कि जेर निकल गया है ।
5. जेर न निकलने पर पशु चिकित्सक से सम्पर्क करें ।
6. भेड/बकरियों का परजीवी की दवा पिलायें ।

6.(सितम्बर)भादों:—

1. संतति को खीस (कोलेस्ट्रम) अवश्य पिलाये ।
2. अवशेष पशुओं में एच0एस0 तथा बी0क्यू0 का टीका लगवाये ।
3. मुंहपका-खुरपका का टीका लगवाये ।
- 4.पशुओं को डिवर्मिंग करायें ।
5. भैसों के नवजात शिशुओं का विशेष ध्यान रखें ।
6. व्यायें पशुओं को खडिया अवश्य खिलायें ।

7. गर्भ परीक्षण एवं कृत्रिम गर्भाधान कराये ।
8. तालाब में पशुओं न जाने दें ।
9. दूध में छिछड़े आने पर थनैला रोग की जांच कराये ।
10. खीस पिलाकर रोग निरोधी क्षमता का निवारण करें ।

7.(अक्टूबर)क्वार:-

1. खुरपका-मुहपका का टीका अवश्य लगाये ।
2. बरसीम एवं रिजका के खेत की तैयारी एवं बुआई करें ।
3. निम्न गुणवत्ता पशुओं को बधियाकरण कराये ।
4. उत्पन्न संततियों की उचित देखभाल कराये ।
5. स्वच्छ जल पशुओं को पिलाये ।
6. दुहान से पूर्व अयन को धोये ।

8(नवम्बर)कार्तिक:-

1. खुरपका-मुहपका रोग का टीका लगवाये ।
2. कृमिनाशक दवा का सेवन कराये ।
3. पशुओं को सन्तुलित आहार दें ।
4. बरसीम तथा जई अवश्य बोये ।
5. लवण मिश्रण खिलाये ।
6. थनैला रोग होने पर उपचार कराये ।

9.(दिसम्बर)अगहन:-

1. पशुओं को ठण्ड से बचाव करें, परन्तु झूल डालने के पश्चात से दूर रखें ।
2. बरसीम की कटाई करें ।
3. खुरपका-मुहपका का टीका अवश्य लगाये ।
4. सूकर में स्वाइन फीवर टीका अवश्य लगाये ।

10.(जनवरी):-पौष:-

1. पशुओं को शीत से बचाव करें ।
2. खुरपका-मुहपका का टीका अवश्य लगाये ।
3. बांझपन संतति का विशेष ध्यान रखें ।
4. उत्पन्न संतति का विशेष ध्यान रखें ।
5. बाह्य परजीवी से बचाव के लिए दवा से नहलाये ।
6. दुहान से पहले अयन को धोलें ।

11.(फरवरी) माघ:-

1. खुरपका-मुहपका का टीका लगवाकर पशुओं को सुरक्षित करें ।
2. जिन पशुओं में जुलाई अगस्त में टीका लग चुका है उन्हें पुनः लगवाये ।
3. बाह्य परजीवी तथा अन्तःपरजीवी की दवा लगवाये/पिलवाये ।
4. कृत्रिम गर्भाधाना कराये ।
5. बांझपन चिकित्सा एवं गर्भपरीक्षण कराये ।
6. बरसीम का बीज तैयार करें ।
7. पशुओं को ठण्ड से बचाने का प्रबन्ध करें ।

12.(मार्च)फागुन:-

1. पशुशाला की सफाई व पुताई कराये ।
2. बधियाकरण कराये ।
3. खेतों में चरी, सूडान तथा लोविया की बुवाई करें ।
4. मौसम में परिवर्तन से पशु का बचाव करें ।

17.6 अधिकारियों की निजी सम्पत्ति का विवरण

- | | | | |
|----|------------------------------|---|-------------|
| 1- | डा० के०के०जोशी, अपर निदेशक | — | . 20.00 लाख |
| 2- | डा० जमन राम, परियोजना निदेशक | — | . 50.50 लाख |

प्रेषक,

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग,
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक

/मु0प्र0अ0 /सू0अ0अ0-अपडेट मैनुअल / 2017-18 दिनांक

विषय:-

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मैनुअल्स वर्ष 2016-17 को विभागीय
वैबसाईट www.ahd.uk.gov.in पर अपलोड करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3258/आर0टी0आई0-मैनुअल/2017-18
दिनांक 19.09.2017 के क्रम में कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल के
वर्ष 2016-17 की सूचनाओं से अपडेट मैनुअलों (मैनुअल संख्या 01 से 17 तक) हार्ड एवं साफ्ट कापी
सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 एम0एस0नयाल)
अपर निदेशक।